



मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
 चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011
 फोन नं. 0755–2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755–2550498
 ई–मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाईट : www.vyapam.nic.in

पी.ई.पी.टी. – 2013

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	18.01.2013				
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि	17.02.2013				
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	18.02.2013				
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि	27.02.2013				
परीक्षा दिनांक व दिन	21.04.2013, रविवार				
परीक्षा शुल्क	<table border="1"> <tr> <td>अनारक्षित / अन्य पिछळा वर्ग के लिए :-</td> <td>रु... 500/-</td> </tr> <tr> <td>अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / नि: अक्तजन के लिए :-</td> <td>रु... 250/-</td> </tr> </table>	अनारक्षित / अन्य पिछळा वर्ग के लिए :-	रु... 500/-	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / नि: अक्तजन के लिए :-	रु... 250/-
अनारक्षित / अन्य पिछळा वर्ग के लिए :-	रु... 500/-				
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / नि: अक्तजन के लिए :-	रु... 250/-				
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 50/- देय होगा।					

समय – सारणी

परीक्षा दिनांक, दिन व समय	प्रश्नों की संख्या	बी.ई. पाठ्यक्रम हेतु		बी.फार्मा / डी.फार्मा पाठ्यक्रम हेतु	
		अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
21.04.2013(रविवार) प्रातः 10.00 से दोपहर 01.15 बजे तक	200	गणित एवं भौतिकी	रसायन अथवा बायोटेक्नोलॉजी अथवा बायोलॉजी	भौतिकी एवं रसायन	गणित अथवा बायोटेक्नोलॉजी अथवा बायोलॉजी

नोट :-

- परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद परीक्षा केन्द्र में पहुंचने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थी को परीक्षा उपरांत परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व अपनी उत्तरशीट वीक्षक को सौंपना अनिवार्य है।
- सेल्यूलर / मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल, रफ पेपर आदि परीक्षा कक्ष में ले जाना वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन–पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जवाबदारी / जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।

प्री-इंजीनियरिंग, फार्मसी टेस्ट (PEPT) - 2013

विषय सूची

अध्याय - 1

निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

स.क्रं.	विवरण	नियम क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया	1.1	3
2	ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	1.2	3
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र की जानकारी में संशोधन	1.5	4-5
4	प्रवेश-पत्र	1.7	5
5	परीक्षा शहर	1.8	5
6	अनुचित साधन	1.11	6
7	परीक्षा पद्धति	1.12	6-7
8	प्रश्न पुस्तिकाओं के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	1.16	8
9	मॉडल आंसर्स / फायनल आंसर्स	1.17	8-9
10	परीक्षा परिणाम का प्रकाशन	1.18	9

अध्याय - 2 (प्रवेश परीक्षा नियम)

पीईपीटी-2013 (बी.ई., बी.फार्मा / डी.फार्मा)(मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन))

स.क्रं.	विवरण	नियम क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	प्रवेश नियम	2.4	12-19
2.	प्रवेश की प्रक्रिया	2.5	19
3.	योग्यता क्रम सूचियां	2.6.4	20
4.	बी.ई. पाठ्यक्रम हेतु सीटों की उपलब्धता	टेबल-1	57-80
5.	बी.फार्मा पाठ्यक्रम हेतु सीटों की उपलब्धता	टेबल-2	81-83
6.	डी.फार्मा पाठ्यक्रम हेतु सीटों की उपलब्धता	टेबल-3	84

अध्याय - 3 (प्रवेश परीक्षा नियम)

पीईपीटी-2013 (बी.ई., बी.फार्मा / डी.फार्मा)(मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं)

स.क्रं.	विवरण	नियम क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	प्रवेश नियम	3.4	26-30
2.	प्रवेश की प्रक्रिया	3.5	31
3.	योग्यता क्रम सूचियां	3.6.4	31-32
4.	बी.ई. पाठ्यक्रम हेतु सीटों की उपलब्धता	टेबल-1	57-80
5.	बी.फार्मा पाठ्यक्रम हेतु सीटों की उपलब्धता	टेबल-2	81-83
6.	डी.फार्मा पाठ्यक्रम हेतु सीटों की उपलब्धता	टेबल-3	84

अध्याय - 4

प्रारूप 01 से 16 - पृष्ठ क्रं. 38 से 56 तक

अध्याय - 5

पाठ्यक्रम - पृष्ठ क्रं. 86 से 95 तक

पी.ई.पी.टी. – 2013
अध्याय – 1
निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

महत्वपूर्ण :–

ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन काउंसलिंग/प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों के आधार पर संबंधित विभाग/संस्था द्वारा किया जायेगा। अतः बाद में यह पता चलता है कि सफल आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरते समय गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है, ऐसी स्थिति में यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार झूठी/गलत जानकारी देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि आवेदक को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है, तो आवेदक को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख/प्रवेश प्राधिकरण/मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान तुरंत बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा।

1.1 ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की प्रक्रिया :–

- (1) ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने के लिए वेबसाईट www.vyapam.nic.in; www.mponline.gov.in का उपयोग करें।
- (2) उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने संबंधी निर्देशों को भलीभांति पढ़ने के उपरांत ही भरें।
- (3) ऑनलाईन आवेदन—पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को नकद निर्धारित परीक्षा शुल्क पी.ई.पी.टी.—2013 हेतु अनारक्षित/ अन्य पिछड़ी जाति के लिए 500/- तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ निःशक्तजन के लिए 250/- तथा अतिरिक्त क्योस्क शुल्क रु. 50/- का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाईट्स से डेबिट(कोई भी वीजा/मास्टर/मास्टर कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरा जा सकता है।
- (4) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन—पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन—पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाईट के माध्यम से प्रवेश—पत्र प्राप्त किया जा सके।

1.2 ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :–

आवेदक का फोटोग्राफ व हस्ताक्षर तथा आवेदक द्वारा यदि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में मध्यप्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया हो, तो निर्धारित प्रारूप में संचालक, खेल एवं युवक कल्याण से जारी मूल प्रमाण—पत्र की स्कैन की गई हुई प्रति ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज/प्रमाण—पत्र ऑनलाईन आवेदन—पत्र के साथ संलग्न नहीं किया जाना है।

1.3 आवेदक द्वारा एक बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरांत यदि वह दूसरी बार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है तो उसके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि व फोटो एक समान होने पर

आवेदक द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्र का क्रमांक प्रदर्शित होगा, और यह जानकारी ली जायेगी कि क्या आवेदक पूर्व में भरे गए आवेदन को निरस्त करना चाहता है? यदि आवेदक निरस्त करने में सहमत नहीं है, तो उसके द्वारा भरा जा रहा द्वितीय आवेदन नहीं भरा जा सकेगा तथा पहले भरा हुआ आवेदन ही मान्य होगा। दूसरी तरफ सहमत होने पर पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त कर वर्तमान आवेदन को मान्य करते हुए स्वीकार किया जाएगा। इस स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा भुगतान शुल्क राजसात किया जावेगा।

1.4 आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर से संबंधित निर्देशः—

- (i) आवेदन पत्र के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (ii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला फोटोग्राफ परीक्षा की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।
- (iv) काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।
- (v) जो फोटोग्राफ ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा, वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाना होगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लगाये जाने वाले फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ आवेदक को अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किये जाने चाहिए।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ लघु हस्ताक्षर नहीं किये जाने चाहिए।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय किये जाने होंगे, इसका विशेष ध्यान रखा जाना होगा।
- (ix) अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं किये जाने चाहिए।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।
- (xi) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर स्केनिंग उपरांत पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।

1.5 ऑनलाईन आवेदन पत्र की जानकारी में संशोधनः—

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

- 1.5.1 ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की अंतिम तिथि के अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोर्स्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन—पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन—पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।
- 1.5.2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन—पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रु.100/-—एवं पोर्टल शुल्क रु. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोर्स्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से

अजा/अजजा/निःशक्तजन के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनुज्ञाति/अनुजनज्ञाति/निःशक्तजन श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

- 1.5.3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को अन्य प्रविष्टियों सहित फोटो, हस्ताक्षर व अंगुठा निशानी में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। एप्लीकेशन फार्म नंबर, ट्रांजेशन आई.डी. नंबर, व्यापम फार्म नंबर, मोबाईल नंबर एवं ई—मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
- 1.5.4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।
- 1.6 स्क्रूटनी/ऑनलाईन आवेदन—पत्र का निरस्तीकरण :-

आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर की स्क्रूटनी की जायेगी। जिन आवेदकों द्वारा नियम पुस्तिका में उल्लेखित फोटो एंव हस्ताक्षर के निर्धारित मापदंड के अनुरूप फोटो/हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं, फोटो अनुपलब्ध है, हस्ताक्षर अनुपलब्ध है, ऐसे प्रकरणों को स्क्रूटनी उपरांत निरस्त किया जायेगा तथा ऐसे आवेदकों को टेस्ट एडमिट कार्ड जारी नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र निरस्त की सूचना मण्डल की बेवसाईट पर उपलब्ध होगी। एक बार आवेदन पत्र निरस्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा।

1.7 परीक्षा प्रवेश—पत्र (Test Admit Card) :-

मण्डल द्वारा नियमानुसार मान्य आवेदन—पत्र के अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रवेश—पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराए जायेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश—पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

प्रवेश—पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया:- अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन—पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश—पत्र उक्त वेबसाईट से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश—पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट— प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन—पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.8 परीक्षा शहर व परीक्षा समय :- यह परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जायेगी

मध्यप्रदेश के परीक्षा शहर :-						
1. बड़वानी	2. बालाघाट	3. बैतूल	4. भोपाल	5. बुरहानपुर	6. छतरपुर	7. छिंदवाड़ा
8. देवास	9. राजगढ़	10. धार	11. गुना	12. ग्वालियर	13. होशंगाबाद	14. इन्दौर
15. जबलपुर	16. खण्डवा	17. खरगोन	18. रत्नाम	19. रीवा	20. मंदसौर	21. सागर
22. सतना	23. सीहोर	24. सिवनी	25. शहडोल	26. टीकमगढ़	27. उज्जैन	28. विदिशा
मध्यप्रदेश से बाहर के परीक्षा शहर :-						
1. नई दिल्ली	2. लखनऊ	3. पटना	4. रायपुर			

अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है। लिखित परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रातः 10:00 से दोपहर 01:15 बजे तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश—पत्र पर अंकित होगी।

1.9 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :-

केवल प्रवेश—पत्र एवं काला बॉलपाइंट पेन।

1.10 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

1.11 अनुचित साधन (Unfair Means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जायेगा :-

- (क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- (ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- (ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
- (घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- (ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- (च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला—बदली करना।
- (छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- (ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- (झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- (अ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- (ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य परस्परधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। परस्परधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

1.12 परीक्षा पद्धति :—

- (1) पी.ई.पी.टी. (प्री-इंजीनियरिंग एवं फार्मसी टेस्ट)—2013 परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन—पत्र में दिए गए परीक्षा/विषय विकल्पों के आधार पर 200 प्रश्नों के एक प्रश्न—पत्र 3.00 घन्टे की अवधि का आयोजित किया जावेगा। जिसमें परीक्षा के प्रथम भाग के रूप में गणित/बायोलॉजी/बायोटेक्नालॉजी के 100 प्रश्न एवं द्वितीय भाग में शेष 100 प्रश्न (50+50) भौतिकी + रसायन/भौतिकी + बायोलॉजी/भौतिकी+बायोटेक्नालॉजी के होंगे। इस परीक्षा हेतु पांच विषय विकल्प के पांच प्रश्न पत्र निम्नानुसार तैयार करवायें जायेंगे जो कि आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये विकल्प अनुसार परीक्षा के समय आवेदक को उपलब्ध करवाये जायेंगे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।
- (2) पी.ई.पी.टी.(प्री-इंजीनियरिंग एवं फार्मसी टेस्ट)—2013 परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन—पत्र नीचे दिए गए परीक्षा/विषय विकल्पों में से कोई एक विकल्प का चयन कर उन्हीं विषयों हेतु नियमपुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर दी गई समय—सारणी के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

स.क्रं.	विषय विकल्प	पाठ्यक्रम
1	गणित (100 प्रश्न) + भौतिकी (50 प्रश्न) + रसायन (50 प्रश्न)	बी.ई. अथवा बी.फार्मा / डी.फार्मा अथवा दोनों
2	गणित (100 प्रश्न) + भौतिकी (50 प्रश्न) + बायोलॉजी (50 प्रश्न)	केवल बी.ई.
3	गणित (100 प्रश्न) + भौतिकी (50 प्रश्न) + बायोटेक्नोलॉजी (50 प्रश्न)	केवल बी.ई.
4	बायोलॉजी (100 प्रश्न) + भौतिकी (50 प्रश्न) + रसायन (50 प्रश्न)	केवल बी.फार्मा / डी.फार्मा
5	बायोटेक्नोलॉजी (100 प्रश्न) + भौतिकी (50 प्रश्न) + रसायन (50 प्रश्न)	केवल बी.फार्मा / डी.फार्मा

नोट:-पी.ई.पी.टी. परीक्षा—2013 में 200 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र तीन घण्टे की अवधि का आयोजन किया जावेगा।

1.13 पाठ्यक्रम :—

पी.ई.पी.टी. परीक्षा का विषयवार पाठ्यक्रम नियम पुस्तिका के अध्याय-5 में दर्शाया गया है।

1.14 मूल्यांकन पद्धति :—

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

1.15 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, प्रश्नों का निरस्तीकरण एवं बदले में प्रदान किये जाने वाले अंक :—

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :—

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :— सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

1.16 प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन :—

प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप-15 (प्रश्न पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरांत एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

1.17 मॉडल आंसर्स के संबंध में अभ्यावेदन/फायनल आंसर्स :—

- (1) मॉडल आंसर्स :— परीक्षा के सफल आयोजन के 01 दिन उपरांत प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर मॉडल उत्तर (Model Answers) के रूप में मंडल की वेबसाईट पर

प्रदर्शित किया जायेगा। मॉडल आंसर में किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण उत्तरों के संबंध में परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां निर्धारित प्रारूप-16 (मॉडल उत्तर के संबंध में अभ्यावेदन) में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा उपरांत मॉडल आंसर्स मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर मंडल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी।

- (2) फायनल आंसर्स :— प्रारूप 15 में प्रश्न पुस्तिका के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों तथा प्रारूप 16 में मंडल द्वारा प्रदर्शित माडल उत्तरों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को “की” समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। “की” समिति द्वारा सभी अभ्यावेदनों से संबंधित प्रश्नों/उत्तरों के पूर्ण परीक्षण उपरांत निराकृत करने के पश्चात् फायनल आंसर्स (Final Answers) तैयार किये जायेगे, इस प्रक्रिया में बिन्दु क्रमांक 1. 15 अनुसार “की” समिति द्वारा प्रश्नों को निरस्त भी किया जा सकेगा। समिति द्वारा उन प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा जिन पर अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार तैयार फायनल आंसर्स (Final Answers) के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फायनल आंसर्स (Final Answers) परिणाम उपरांत मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगे। “की” समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा सभी आवेदकों के लिये बंधनकारी होगा।

1.18 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :—

अध्याय-1 2 से 3 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ आदर्श उत्तर (Model Answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

1.19 अंक सूची की उपलब्धता :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के आधार पर उल्लेखित वेबसाईट से अंकसूची प्राप्त/मुद्रित कर सकते हैं। मण्डल द्वारा डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा तथा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।

1.20 लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :—

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :—

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :—

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :—

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :—

- 3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 60 मिनट
- 2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 50 मिनट
- 2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 40 मिनट
- 1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 30 मिनट

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :—

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ—पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :—

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ़्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

1.21 मण्डल का क्षेत्राधिकार :—

म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा। परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा।

1.22 अभिलेखों का संधारण :—

मण्डल द्वारा परीक्षा आयोजन उपरांत अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह तक परीक्षा से संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जायेगा। इसके पश्चात् परीक्षा से संबंधित समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों को रद्दी घोषित व नष्ट कर दिए जायेंगे।

1.23 न्यायिक क्षेत्राधिकार :—

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

अध्याय-2

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल

मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) में सत्र 2013-14 के लिये प्रवेश नियम

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) इंजीनियरिंग संस्थाओं में बी.इ. पाठ्यक्रम एवं शासकीय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) फार्मसी की संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम:-

2.1 सामान्य

ये नियम मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय इंजीनियरिंग संस्थाओं बी.इ. के प्रथम वर्ष में

तथा

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी फार्मसी की संस्थाओं तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय फार्मसी की संस्थाओं में बी.फार्मा के प्रथम वर्ष एवं राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालय भोपाल, जबलपुर के द्वि-वर्षीय फार्मसी के डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डी.फार्मा.) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलाएंगे।

2.2 परिभाषायें

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: –

1. "AICTE" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली;
2. "संयुक्त प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अर्थात् प्री-इंजीनियरिंग एवं फार्मसी टेस्ट;
3. "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्धति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता है (जैसे बी.इ. इलेक्ट्रिकल, बी.इ. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, एमबीबीएस, बीडीएस आदि);
4. "व्यावसायिक संस्थान" से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी तथा फार्मसी पाठ्यक्रमों को संधारित करती हैं;
5. "व्यापम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल;
6. "डी.टी.इ." से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एजूकेशन, मध्यप्रदेश;
7. "रा.गां.प्रौ.वि." से अभिप्रेत है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है;
8. "प्राचार्य" से अभिप्रेत है संस्था प्रमुख;
9. "सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी;
10. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है;
11. "एन.आर.आई." से अभिप्रेत है अनिवासी भारतीय का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) में उसके लिये दिया गया है;
12. "श्रेणी" से अभिप्रेत है इन चार श्रेणी में से एक उदाहरणार्थ अनारक्षित(UR), अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर)(OBC);

13. "वर्ग" से अभिप्रेत है इन चारों वर्गों में कोई भी एक उदाहरणार्थ सैनिक(S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF), टेक्निकल स्ट्रीम(TS), बिना वर्ग(X);
14. "OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष अभ्यर्थी;
15. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी;
16. "मध्यप्रदेश सीटों" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित सीट;
17. "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों" से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगे, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल—निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्त्रीतों से कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम है, दिया जावेगा।
- 2.3 लागू होना:— ये नियम मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी फार्मसी तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय फार्मसी की संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।
- 2.4 प्रवेश नियम:—

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी—

2.4.1 स्थानों की उपलब्धता

बी.ई./बी.फार्मा./डी.फार्मा. संस्थाओं में उपलब्ध सीटें :—

संक्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत सत्र 2013–14 के लिये
1	मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित पोलीटेक्निक महाविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालय	90 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें 5 प्रतिशत आल इंडिया सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें एवं आल इंडिया सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)
2	स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन)	90 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें 5 प्रतिशत आल इंडिया सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें एवं आल इंडिया सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)

नोट :-

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/ www.mptechedu.org पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) PEPT-2013

में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी।

2.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण

मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) तथा स्वशासी पोलीटेक्निक एवं शासकीय महाविद्यालयों के बी.ई./बी.फार्मसी/डी.फार्मसी संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

टिप्पणी :

- (अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
(क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :—

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप 2(अ) अथवा 2(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी :—

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप 3(अ) अथवा 3(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2010** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु बी.ई. तथा बी.फार्मा/डी.फार्मा के पाठ्यक्रमों में स्थानों का आरक्षण :

समस्त स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा समस्त शासकीय/स्वशासी पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के प्रत्येक संकाय (ब्रांच) में स्वीकृत प्रवेश क्षमता की एक सीट कश्मीरी विस्थापित परिवार के पुत्र/पुत्रियों के लिए आरक्षित रहेगी। अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थानों तथा स्ववित्तीय संस्थानों में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप-12 में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बी.ई./बी.फार्मा पाठ्यक्रम के लिये PEPT-2013 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं

कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप-13 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। बीई/बी.फार्मा पाठ्यक्रम के लिये PEPT-2013 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(घ) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J&K Residents Seats)

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, तथा स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं में आल इंडिया सीटों में से एक-एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में आरक्षित की गई हैं। बी.ई./बी.फार्मा पाठ्यक्रम के लिये PEPT-2013 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ङ.) एन.सी.सी. "बी" श्रेणी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

मध्यप्रदेश के एन.सी.सी. के "बी" श्रेणी प्रमाण पत्र उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए शासकीय/ अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग/ फॉर्मेसी महाविद्यालयों में दो प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

(ङ) शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटें

(Tuition Fee Waiver Scheme):-

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।

(ण) क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) :

शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में सभी श्रेणियों में सैनिक(S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF), तथा टेक्निकल स्ट्रीम(TS) वर्ग के उम्मीदवारों हेतु निम्नानुसार क्षैतिजीय आरक्षण रहेगा:-

(अ) बी.ई पाठ्यक्रम में अनारक्षित(UR), अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST), तथा अन्य पिछड़ी जाति(OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अंतर्गत सैनिक(S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF) तथा टेक्निकल स्ट्रीम(TS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिजीय आरक्षण क्रमशः 5, 3, 1 प्रतिशत रहेगा।

(ब) बी.फार्मा,/डी.फार्मा पाठ्यक्रम में सैनिक(S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF), वर्ग के लिए प्रवेश हेतु निम्नानुसार स्थान आरक्षित है :-

1. एस.जी.एस.आई.टी.एस. इंदौर में अनुसूचित जनजाति(ST) के अंतर्गत सैनिक(S) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए बी.फार्मा में एक स्थान।
2. स.व. पोलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल में अनारक्षित श्रेणी(UR), एवं अनुसूचित जाति(SC) के अंतर्गत सैनिक(S) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए डी.फार्मा. में एक-एक स्थान।
3. कलानिकेतन पोलीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर में अनुसूचित जनजाति(ST) के अंतर्गत सैनिक(S) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए डी.फार्मा. में एक स्थान।

4. स.व. पोलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल में अनुसूचित जनजाति(ST) के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए डी.फार्मा में एक स्थान
5. कलानिकेतन पोलीटेक्निक महाविद्यालय, जबलपुर में अन्य पिछड़ी जाति(OBC) (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी(FF) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए डी.फार्मा में एक स्थान ।

सैनिक वर्ग (S) :-

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता हैं। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण—पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप—4 भाग ‘अ’ में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण—पत्र प्रारूप—5 में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। (प्रमाण पत्र प्रारूप—4 भाग (ब) में) उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण—पत्र प्रारूप—8 में प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह 1 जनवरी, 2013 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र प्रारूप 4 भाग (ब) में)

टिप्पणी : सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF):

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो इस नियम पुस्तिका के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप 6 में प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

टेक्निकल स्ट्रीम (TS) वर्ग :

टेक्निकल स्ट्रीम वर्ग में ऐसे उम्मीदवारों को बी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता होगी, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. की (10+2) प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा तकनीकी धारा (Technical Stream) में उत्तीर्ण

की हो अथवा जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. की (10+2) प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा के साथ—साथ म.प्र. तकनीकी शिक्षा मंडल, भोपाल (राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल) से किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा (Diploma) उत्तीर्ण किया हो ।

बिना वर्ग (Nil Class) (X) :

जो उम्मीदवार उपरोक्त तीनों वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग"(X) का उम्मीदवार माना जावेगा ।

(स) महिला (Female) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

बी.ई./बी.फार्मा./डी.फार्मा. पाठ्यक्रम में प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों हेतु 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" आरक्षण उपलब्ध रहेगा । ऐसी सीटों को (F) दर्शाया जावेगा ।

महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा ।

टिप्पणी: महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस श्रेणी/वर्ग की पात्रता के OP (ओपन) उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु ऐसे स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में महिलाओं की सीटों में समायोजित नहीं किये जावेंगे, किसी भी वर्ग में OP (ओपन) सीटों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस वर्ग के रिक्त स्थान उसी श्रेणी के बिना वर्ग के X (OP) उम्मीदवारों के द्वारा भरे जावेंगे ।

(द) विकलांग उम्मीदवारों (Physically Handicapped Candidates) हेतु आरक्षण:

बी.ई./बी.फार्मा./डी.फार्मा. पाठ्यक्रम :

40 एवं अधिक प्रतिशत विकलांगता वाले विकलांग उम्मीदवार जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) में उपलब्ध रहेगा ।

टिप्पणी :-

1. यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरुद्ध विकलांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के छपस वर्ग (बिना वर्ग, X) में परिवर्तन किया जा सकेगा ।
2. इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निमांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा—

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र; तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण—पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे ।

(त) मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को अतिरिक्त सुविधा:-

बी.ई. पाठ्यक्रम हेतु यदि किसी श्रेणी की योग्यताक्रम (मेरिट) सूची के ऐसे उम्मीदवार, जो मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अथवा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री हों, तथा किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें काउंसिलिंग प्रक्रिया में उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग में स्थित मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्था का आवंटन किया जा सकेगा परंतु उन्हें ब्रांच का आवंटन प्रवेशित संस्था में उनकी मेरिट के आधार पर किया जावेगा। इन उम्मीदवारों के लिये इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, एवं स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं में पूरी स्वीकृत प्रवेश क्षमता तक उपलब्ध रहेगा। ऐसे उम्मीदवारों को उनके वर्तमान निवास स्थान के राजस्व संभाग के अतिरिक्त अन्य स्थानों में स्थित संस्थाओं में उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। चम्बल तथा होशंगाबाद सम्भाग में शासकीय अथवा अनुदान प्राप्त संस्थाएँ नहीं होने के कारण इन सम्भागों के निवासरत उम्मीदवार क्रमशः एम.आई.टी.एस., ग्वालियर तथा यू.आई.टी., आर.जी.पी.व्ही, भोपाल में प्रवेश ले सकते हैं।

टिप्पणी : "गरीबी रेखा" के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके पिता/माता गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता/माता के नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके पिता/माता राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(थ) एन.आर.आई. (NRI) सीटें : समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.4.3 प्रवेश हेतु पात्रता :

1) जो भारत का नागरिक हो

2) शैक्षणिक अर्हता

(अ) बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिकी तथा गणित मुख्य विषय के रूप में तथा रसायन/बायोटेक्नालॉजी/बायोलॉजी में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण।

उपरोक्त विषयों में सम्मिलित रूप से **न्यूनतम 45 प्रतिशत** अंक होना आवश्यक है {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये **न्यूनतम 40 प्रतिशत** अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

(ब) बी.फार्मसी / डी.फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिकी तथा रसायन मुख्य विषय के रूप में तथा गणित/बायोटेक्नालॉजी/बायोलॉजी में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण।

उपरोक्त विषयों में सम्मिलित रूप से **न्यूनतम 45 प्रतिशत** अंक होना आवश्यक है {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये **न्यूनतम 40 प्रतिशत** अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

नोट :—

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा।
2. **पीईपीटी—2013** की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र **2012—13** में सम्मिलित हो रहे हैं, भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी।
3. ओपन स्कूल से उत्तीर्ण उम्मीदवार फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी संस्थाओं एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं की सीटें तथा स्वशासी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की बी.इ./बी.फार्मा./डी.फार्मा. की सीटें एवं मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेक्निक भोपाल, जबलपुर के डी.फार्मा सीटें के विरुद्ध केवल ऐसे उम्मीदवारों को (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी :—

1. जो भारत का नागरिक हो।
2. (क) जिसने वर्ष **2008 से वर्ष 2013** तक के पांच वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-7 में)

अथवा

(ख) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण—पत्र (प्रारूप-8 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :—

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारूप-9 में)

अथवा

(2) केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो **1 जनवरी 2013** को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-10 में)

अथवा

(3) ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-11 में),

स्पष्टीकरण—1 अभिभावक :—

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—2 दत्तक पुत्र/पुत्री :—

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता हैं तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2.4.4 प्रवेश की रीति

राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। प्राधिकृत अभिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा।

राज्य शासन द्वारा अधिकृत मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली **पीईपीटी—2013** प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर बी.ई., बी.फार्मा. तथा डी. फार्मा में प्रवेश दिये जायेंगे।

2.5 प्रवेश की प्रक्रिया

2.5.1 ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Online Offcampus Admission Procedure):

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

2.5.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया:-

2.5.2.1 समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.5.2.2 **अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन – अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान,** जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

2.6 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

2.6.1 बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा निम्नलिखित विषयों को समाहित करते हुए एक प्रश्न—पत्र की प्रवेश परीक्षा पी.ई.पी.टी.—2013 संचालित की जावेगी।

गणित—100 प्रश्न, भौतिकी—50 प्रश्न तथा

रसायन /बायोटेकनालॉजी/ बायोलॉजी (कोई एक)— 50 प्रश्न

2.6.2 फार्मसी पाठ्यक्रम (बी.फार्मा व डी. फार्मा) में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा विषयों को समाहित करते हुए एक प्रश्न—पत्र की प्रवेश परीक्षा पी.ई.पी.टी.—2013 संचालित की जावेगी।

गणित/बायोटेकनालॉजी/बायोलॉजी (कोई एक)— 100 प्रश्न

भौतिकी— 50 प्रश्न तथा रसायन—50 प्रश्न

2.6.3 प्रवेश परीक्षा (पी.ई.पी.टी.) अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र—छात्राओं का व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पी.ई.पी.टी.—2013 प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप 14 में प्रमाण—पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

2.6.4 योग्यता क्रम सूचियां

2.6.4.1 उम्मीदवारों द्वारा पी.ई.पी.टी.—2013 में प्राप्तांकों के आधार पर बी.ई. तथा बी.फार्मा/डी. फार्मा पाठ्यक्रमों हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा एकीकृत योग्यता क्रम सूचियाँ (Common Merit Lists), के साथ—साथ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) के लिए श्रेणीवार/वर्गवार अलग—अलग योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

2.6.4.2 बी.ई. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संस्था एवं इंजीनियरिंग ब्रांच का आवंटन पी.ई.पी.टी.—2013 की मेरिट (बी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के विषयों में कुल प्राप्तांक) के आधार पर किया जाएगा, जबकि बी.फार्मा. व डी.फार्मा. पाठ्यक्रमों हेतु संस्था का आवंटन प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को पी.ई.पी.टी.—2013 मेरिट (फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के विषयों में कुल प्राप्तांक) के आधार पर किया जाएगा इस तरह बी.ई. तथा फार्मसी पाठ्यक्रमों के लिए पृथक—पृथक मेरिट सूचियां तैयार की जावेंगी।

2.6.4.3 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

पी.ई.पी.टी.—2013 परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) निम्नलिखित क्रम में निश्चित की जाएगी –

1. प्रवेश परीक्षा में एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।

2. 2.6.3 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है ।

2.6.5 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

2.6.5.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी की सीटों, ऑलइंडिया सीटों, शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये बीई/बी.फार्मा/डी.फार्मा.पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल PEPT-2013 की प्रवेश परीक्षा के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे ।

2.6.5.2 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को व्यापम द्वारा तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश दिया जावेगा ।

2.6.5.3 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे । काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा । काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/ / www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगा । इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा ।

2.6.5.4 मूल प्रमाण-पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे । तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण-पत्र वापिस कर दिये जायेंगे । उम्मीदवारों को मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है ।

2.6.5.5 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

2.6.5.6 कुलाधिपति द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2.7 प्रवेश का क्रम :-

2.7.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है । यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों सम्प्रिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से भरे जाएंगे ।

2.7.2 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित कम से बुलाया जायेगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति ।

2.7.3 आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसिलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसिलिंग) प्रारंभ की जाएगी ।

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी हैं को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा । उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी । आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी ।

2.7.4 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार एवं/अथवा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर, उन्हें पृथक—पृथक अथवा साथ—साथ आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) में उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में होंगे एवं जिसके लिये समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हों। महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिए निर्धारित तिथियां, रिक्तियां, अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। इस परामर्श (काउंसलिंग) से प्रवेशित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी की प्रविष्टि, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित महाविद्यालय द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) की वेबसाइट पर परामर्श (काउंसलिंग) की तिथि पर ही करना अनिवार्य है।

सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से परामर्श (काउंसलिंग) की सूची के अंतिम अभ्यर्थी को अवसर देने के पश्चात् यदि अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित करने का विनिश्चय किया जाता है तो उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में अंतर्गत विचार में लिए जाएंगे एवं जिसके लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

2.7.5 बी.ई. पाठ्यक्रमों में, महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) के पूर्व, प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी यदि अपनी ब्रांच परिवर्तन के विकल्प लेने का इच्छुक हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार ब्रांच परिवर्तन के लिये अपना विकल्प दे सकेगा ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में, उसकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा पश्चात् वर्ती ब्रांच में ही उसका प्रवेश बना रहेगा।

2.8 प्रवेश का रद्द किया जाना:-

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) यदि अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी से अपना प्रवेश रद्द करवाता है या अभ्यर्थी का प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए गए संस्थान में प्रवेश की **अंतिम तिथि** के 7 दिन पूर्व जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा घोषित किया जाए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रवेश हेतु रिपोर्ट न करने के कारण रद्द किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) प्राधिकारी के पास जमा की गई शिक्षण फीस के भाग में से रुपये 1000/- की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जाएगी तथा संस्था के पास जमा की गई शिक्षण फीस का भाग या अन्य फीस, अभ्यर्थी को, जमा की गई राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जाएगी तथापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी।

अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (केवल कॉशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं होंगे।

(3) रद्दकरण के पश्चात् स्थानों की स्थिति :-

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

2.9 विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) का प्रवेश –

(एक) एआईसीटीई के अनुमोदन के अधीन, परिलक्षित संस्था, विदेशी नागरिकों/ भारतीय मूल के नागरिकों(पी.आई.ओ.) को एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत सीमा तक प्रवेश देगी. यह अधिसंख्य स्थान स्नातक अधीन पाठ्यक्रमों के लिये केवल विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों(पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों के लिये इस शर्त के साथ होंगे कि यदि किसी भी दशा में वह भरे नहीं जाते हैं तो विदेशी विद्यार्थियों/भारतीय मूल के नागरिकों/सीआईडब्ल्यूजीसी से भिन्न अन्य को आवंटित कर दिये जावेंगे.

(दो) एआईसीटीई परिलक्षित की गई संस्थाओं में, इस प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों की स्नातक अधीन उपाधि में विद्यार्थियों के लिये 15 प्रतिशत अधिसंख्य स्थानों में प्रवेश के लिये अनुमति दे सकेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है।

(तीन) ऐसी संस्थाएँ उसके निरीक्षण पर, अधिकतम 15 प्रतिशत अधिसंख्य स्थान को एआईसीटीई के अनुमोदन के पश्चात ही प्रवेश देने के लिये हकदार होंगी। ऐसे स्थान संस्थाओं द्वारा भरे जाएंगे, जिसके पश्चात वे विहित दस्तावेज नियत तारीख तक, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए, सक्षम प्राधिकारी को भेजे जाएंगे।

(चार) संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हे सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं।

2.10 शिक्षण तथा अन्य फीस :-

राज्य शासन ने बी.ई., एवं बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय-समय पर जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

2.11 उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.12 मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

2.13 क्षेत्राधिकार-

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट www.dtempcounselling.org / www.mp techedu.org पर उपलब्ध रहेगी।

अध्याय-3

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में
सत्र 2013-14 के लिये प्रवेश नियम

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में बी.ई., बी.फार्मा. एवं डी.फार्मा. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम:-

3.1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रवेश नियम, 2008 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त हैं एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू हैं।

3.2. परिभाषाएः-

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);
- (ख) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी;
- (ग) "प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;
- (घ) "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय;
- (ङ.) "उपाबंध" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध;
- (च) "सामान्य प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिडकी प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा;
- (छ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;
- (छ-1) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्धति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता है (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, एमबीबीएस, बीडीएस आदि)"
- (ज) "फीस" से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार;
- (झ) "अनिवासी भारतीय" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ङ.) में उसके लिए दिया गया है;
- (ञ) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है, संस्था का प्रमुख;
- (ट) "सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त

नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है;

- (ठ) "व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;
- (ड) "अर्हकारी परीक्षा" से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है;
- (ढ) "एकल खिड़की प्रणाली" से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;
- (ण) "व्यापम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल;
- (त) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार है:-

1. "डी.टी.ई." से अभिप्रेत है डायरेक्टर टेक्नीकल एज्यूकेशन, मध्यप्रदेश;
2. "रा.गां.प्रौ.वि." से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से हैं;
3. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया हैं;
4. "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों" (TFW) से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगे, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल—निवासी अभ्यर्थियों को जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम है, दिया जावेगा।
5. "सामान्य पूल" से अभिप्रेत है, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे हैं वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हैं और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हैं, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान। प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूल—निवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल—निवासियों के साथ—साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।

3.3. लागू होना:-

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिए ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा यथा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम यथा बी.ई., बी. फार्मा, तथा डी. फार्मा, संचालित कर रही हों।

3.4. प्रवेश नियम:-

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

3.4.1 स्थानों की उपलब्धता—

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार है:-

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाए	<p>अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत ।</p> <p>ब) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये आपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।</p> <p>स) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता वाले स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।</p>

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/ www.mptechedu.org पर उपलब्ध कराई जावेगी ।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी ।

3.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण—

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थानों में से) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे । विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

टिप्पणी :

- (1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है ।
- (2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
- (क) मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :-

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है,

उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप 2(अ) अथवा 2(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

- (ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी:-
- ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस प्रवेश नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप 3(अ) अथवा 3(ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2010** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो को परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा । (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग (J & K Migrants Seats) हेतु बी.ई. तथा बी.फार्मा/डी.फार्मा के पाठ्यक्रमों में स्थानों का आरक्षण :

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रत्येक संस्था में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त अधिसंख्या के (over and above) आधार पर उपलब्ध है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप-12 में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बी.ई./बी.फार्मा पाठ्यक्रम के लिये PEPT-2013 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी 3.3.6.1 में उल्लेखित आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप-13 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। बी.ई./बी.फार्मा पाठ्यक्रम के लिये PEPT-2013 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(घ) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J & K Residents Seats)

प्रत्येक संस्था में एक-एक सीट सामान्य पूल सीटों में से एक-एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में आरक्षित की गई हैं। बी.ई./बी.फार्मा पाठ्यक्रम के लिये PEPT-2013 प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(ङ) शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीट (Tuition Fee Waiver Scheme):- ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा शासित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय, डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 4.5 लाख रूपये से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र होंगे। शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अंतर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित होगी और शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे। इस श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर, ये स्थान अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरे जाएंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। इन स्थानों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) एवं प्रवेश प्रक्रिया उसी प्रकार से होगी, जैसी कि नियमित प्रवेश के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाए। इस योजना के अधीन केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे।

(ङ) एन.आर.आई. (NRI) सीटें:-

समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

3.4.3 प्रवेश हेतु पात्रता :

- 1) जो भारत का नागरिक हो
- 2) शैक्षणिक अर्हता

(अ) बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिकी तथा गणित मुख्य विषय के रूप में तथा रसायन/बायोटेक्नालॉजी/बायोलॉजी में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण ।

उपरोक्त विषयों में समिलित रूप से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

(ब) बी.फार्मेसी/डी.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है:-

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा भौतिकी तथा रसायन मुख्य विषय के रूप में तथा गणित/बायोटेक्नालॉजी/बायोलॉजी में से एक विषय के साथ उत्तीर्ण ।

उपरोक्त विषयों में समिलित रूप से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है {मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा}

नोट :-

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा।

2. पीईपीटी-2013 की प्रवेश परीक्षा में ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा में सत्र 2012-13 में समिलित हो रहे हैं, भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें परामर्श के समय अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी।

3. ओपन स्कूल से उत्तीर्ण उम्मीदवार फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

बी.ई./बी.फार्मा./डी.फार्मा. की सामान्य पूल की सीटों जिनपर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी :-

1. जो भारत का नागरिक हो ।

2. (क) जिसने वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक के पांच वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में रिथित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-7 में),

अथवा

(ख) मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रारूप-8 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :—

(1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारूप-9 में),

अथवा

(2) केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी 2013 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-10 में),

अथवा

(3) ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप-11 में).

स्पष्टीकरण-1 अभिभावक :-

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक / नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-2 दत्तक पुत्र/पुत्री :

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता हैं तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/ माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति, अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

3.4.4 प्रवेश की रीति

राज्य या केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। प्राधिकृत अभिकरण सामान्य प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा तथा अधिसूचित करेगा।

राज्य शासन द्वारा अधिकृत मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईपीटी-2013 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर बी.ई., बी.फार्मा. तथा डी. फार्मा में प्रवेश दिये जायेंगे।

3.5 प्रवेश की प्रक्रिया

3.5.1 ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Online Offcampus Admission Procedure):

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।

3.5.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया:-

3.5.2.1 समस्त संस्थाओं में जिनमें एआईसीटीई द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

3.5.2.2 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन –

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, सामान्य पूल के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

3.6 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

3.6.1 बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा निम्नलिखित विषयों को समाहित करते हुए एक प्रश्न-पत्र की प्रवेश परीक्षा पी.ई.पी.टी.-2013 संचालित की जावेगी। गणित— 100 प्रश्न, भौतिकी— 50 प्रश्न तथा

रसायन / बायोटेकनालॉजी / बायोलॉजी (कोई एक)– 50 प्रश्न

3.6.2 फार्मसी पाठ्यक्रम (बी.फार्मा व डी. फार्मा) में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा विषयों को समाहित करते हुए एक प्रश्न-पत्र की प्रवेश परीक्षा पी.ई.पी.टी. –2013 संचालित की जावेगी।

गणित / बायोटेकनालॉजी / बायोलॉजी (कोई एक)– 100 प्रश्न

भौतिकी— 50 प्रश्न तथा रसायन—50 प्रश्न

3.6.3 प्रवेश परीक्षा (पी.ई.पी.टी.) अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पी.ई.पी.टी.-2013 प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप 14 में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

3.6.4 योग्यता क्रम सूचियां

3.6.4.1 उम्मीदवारों द्वारा पी.ई.पी.टी. –2013 में प्राप्तांकों के आधार पर बी.ई. तथा बी.फार्मा. / डी.फार्मा. पाठ्यक्रमों हेतु व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा एकीकृत योग्यता क्रम सूचियों (Common Merit List), के साथ-साथ अनारक्षित(UR), अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति(ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलियर को छोड़कर) (OBC) के लिये श्रेणीवार / वर्गवार अलग-अलग

योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेगी। उपरोक्त पाठ्यक्रमों में इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling) के माध्यम से किये जावेंगे।

3.6.4.2 बी.ई. पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को संस्था एवं इंजीनियरिंग ब्रांच का आवंटन पी.ई.पी.टी. 2013 की मेरिट (बी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के विषयों में कुल प्राप्तांक) के आधार पर किया जाएगा, जबकि बी.फार्मा व डी.फार्मा पाठ्यक्रमों हेतु संस्था का आवंटन प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को पी.ई.पी.टी. 2013 मेरिट (फार्मसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के विषयों में कुल प्राप्तांक) के आधार पर किया जाएगा इस तरह बी.ई. तथा फार्मसी पाठ्यक्रमों के लिए पृथक—पृथक मेरिट सूचियां तैयार की जावेंगी।

3.6.4.3 समान कुल अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit)

पी.ई.पी.टी. 2013 परीक्षा में समान कुल अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की पारस्परिक प्रावीण्यता (Interse Merit) निम्नलिखित क्रम में निश्चित की जाएगी—

1. सभी प्रश्न पत्रों में एक समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी।

2. नियम क्रमांक 3.6.3 के अंतर्गत ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

3.6.5 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :

3.6.5.1 सामान्य पूल सीटों, शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों, जम्मू काश्मीर विस्थापित एवं जम्मू काश्मीर निवासी सीटों के लिये बीई/बी.फार्मा./डी.फार्मा.पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल PEPT- 2013 की प्रवेश परीक्षा के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार दिये जा सकेंगे।

3.6.5.2 शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को व्यापम द्वारा तैयार की गई योग्यता क्रम सूची के आधार पर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश दिया जावेगा।

3.6.5.3 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार—पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट www.dtempcounselling.org/ www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

3.6.5.4 मूल प्रमाण—पत्र

काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण—पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण—पत्र वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण—पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

3.6.5.5 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

3.6.5.6 कुलाधिपति द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

3.7 प्रवेश का क्रम :-

3.7.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान समान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से भरे जाएंगे।

3.7.2 केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को सर्वप्रथम राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रमस्थापना (रेंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के योग्यताक्रम में और एआईसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में, संस्था स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) के चरण के प्रारंभ होने के पूर्व तक भरने की अनुमति दी जाएगी।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों का एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने के पश्चात् यदि संबंधित संस्था इन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाती है अथवा इन सीटों पर आंशिक रूप से प्रवेश करती है, तो ये सीटें रिक्त रहेंगी एवं इन्हें परामर्श (काउंसलिंग) के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। प्रवेश निरस्त कराये जाने के कारण खाली होने वाले स्थान रिक्त रखे जाएंगे। किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त करेगा तथा ये स्थान रिक्त रखे जाएंगे।

3.7.3 सामान्य पूल के परामर्श (काउंसलिंग) में, आरक्षित प्रवर्ग के प्रथम अभ्यर्थी को निम्नलिखित कम से बुलाया जाएगा, ताकि रिक्त आरक्षित स्थान पारस्परिक रूप से परिवर्तित किए जा सकें:— अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति।

3.7.4 आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी।

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

3.7.5 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्रम के आधार पर आरक्षित प्रवर्गों के परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने के पश्चात्, उपरोक्त क्रमानुसार, रिक्त स्थान, यदि कोई हों, अनारक्षित स्थानों में संविलीन किए जाएंगे और तब अनारक्षित स्थानों के लिये परामर्श (काउंसलिंग) प्रारंभ की जाएगी।

आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जिनके नाम अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में भी है को, अनारक्षित सीटों के आवंटन में भी विचारार्थ लिया जायेगा। उन्हें आरक्षित श्रेणी से अथवा अनारक्षित श्रेणी से, उनकी पसंद की प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जिनका प्रवेश अनारक्षित श्रेणी की सीटों पर किया जाएगा उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाएगी।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए हों। महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) हेतु प्रत्येक महाविद्यालय के लिए निर्धारित तिथियां, रिक्तियां, अधिकृत प्रतिनिधि की जानकारी सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी। इस परामर्श (काउंसलिंग) से प्रवेशित अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी की प्रविष्टि, सक्षम

प्राधिकारी के अधिकृत प्रतिनिधि के साथ संबंधित महाविद्यालय द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) की वेबसाइट पर परामर्श (काउंसलिंग) की तिथि पर ही करना अनिवार्य है।

सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से परामर्श (काउंसलिंग) की सूची के अंतिम अभ्यर्थी को अवसर देने के पश्चात् यदि अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित करने का विनिश्चय किया जाता है तो उपलब्ध समस्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में अंतर्गत विचार में लिए जाएंगे एवं जिसके लिए समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी की एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर आवंटन होगा।

3.7.6 बी.ई. पाठ्यक्रमों में, महाविद्यालय स्तर की परामर्श (काउंसलिंग) के पूर्व, प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी यदि अपनी ब्रांच परिवर्तन के विकल्प लेने का इच्छुक हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्समय अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार ब्रांच परिवर्तन के लिये अपना विकल्प दे सकेगा ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में, उसकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा पश्चात्वर्ती ब्रांच में ही उसका प्रवेश बना रहेगा।

3.8 प्रवेश का रद्द किया जाना:-

(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(2) यदि अभ्यर्थी सक्षम प्रधिकारी से अपना प्रवेश रद्द करवाता है या अभ्यर्थी का प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आवंटित किए गए संस्थान में प्रवेश की अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा घोषित किया जाए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रवेश हेतु रिपोर्ट न करने के कारण रद्द किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) प्राधिकारी के पास जमा की गई शिक्षण फीस के भाग में से रूपये 1000/- की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जाएगी तथा संस्था के पास जमा की गई शिक्षण फीस का भाग या अन्य फीस, अभ्यर्थी को, जमा की गई राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जाएगी तथापि परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी।

अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (केवल कॉशन मनी को छोड़कर) वापिस नहीं होंगे।

(3) रद्दकरण के पश्चात् स्थानों की स्थिति :-

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, अगले चरण की काउंसलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

3.9 विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) का प्रवेश –

(एक) एआईसीटीई के अनुमोदन के अधीन, परिलक्षित संस्था, विदेशी नागरिकों/ भारतीय मूल के नागरिकों(पी.आई.ओ.) को एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत सीमा तक प्रवेश देगी। यह अधिसंख्य स्थान स्नातक अधीन पाठ्यक्रमों के लिये केवल विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों(पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों के लिये इस शर्त के साथ होंगे कि यदि किसी भी दशा में वह भरे नहीं जाते हैं तो विदेशी विद्यार्थियों/भारतीय मूल के नागरिकों/सीआईडब्ल्यूजीसी से भिन्न अन्य को आवंटित कर दिये जावेंगे।

(दो) एआईसीटीई परिलक्षित की गई संस्थाओं में, इस प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों की स्नातक अधीन उपाधि में विद्यार्थियों के लिये 15 प्रतिशत अधिसंख्य स्थानों में प्रवेश के लिये अनुमति दे सकेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है।

(तीन) ऐसी संस्थाएँ उसके निरीक्षण पर, अधिकतम 15 प्रतिशत अधिसंख्य स्थान को एआईसीटीई के अनुमोदन के पश्चात ही प्रवेश देने के लिये हकदार होंगी। ऐसे स्थान संस्थाओं द्वारा भरे जाएंगे, जिसके पश्चात वे विहित दस्तावेज नियत तारीख तक, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया जाए, सक्षम प्राधिकारी को भेजे जाएंगे।

(चार) संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हे सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं।

3.10 शिक्षण तथा अन्य फीस :-

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने [बी.ई.](#) एवं [बी.फार्मेसी / डी.फार्मेसी](#) पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय-समय पर जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के लिए शिक्षण शुल्क।—

अधिकतम 1.50 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये होगा। संस्था उपरोक्त शुल्क से भिन्न कम शुल्क प्रभारित कर सकेगी तथापि यह शिक्षण शुल्क सामान्य पूल की सीटों के लिए विहित शिक्षण शुल्क से किसी भी परिस्थिति में कम न होगा। परंतु प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति तथा सक्षम प्राधिकारी को इस सूचना अग्रिम में देना होगी।

3.11 नियमों / प्रक्रियाओं का उपांतरण:-

मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धकर होगा।

3.12 अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यक्ति कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।

3.13 पाठ्यक्रम:-

ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम तालिका में दिए गए हैं।

3.14 निर्वचन:-

इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

3.15

अधिकारिता:-

किसी भी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी। प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट www.dtempcounselling.org / www.mp techedu.org पर उपलब्ध रहेगी।

अध्याय—4

प्रारूप

प्रमाण—पत्रों के प्रारूप
उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ पत्र
(केवल अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये)

नाम	:
पिता का नाम	:
अनुसूचित जाति/जनजाति (अनु.का क्रमांक)	:
धर्म	:
व्यवसाय	:
पता	:
	
	

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि –

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अंतर्गत जिला.....(म.प्र.) के लिये घोषित, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की सदस्य हूँ।
2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारीके समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

.....

टिप्पणी – जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण—पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....प्रमाण पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति
का नाम.....निवासी ग्राम/नगर.....

.....वि�.ख.....तहसील.....जिला.....
संभाग.....के.....जाति/ जनजाति का/की सदस्य है और इस
जाति/अनुसूचित जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यहजाति/जनजाति
अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....
.....पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....

.....पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल
वार्षिक आय रूपए.....है।

दिनांक

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम (सील)

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से
संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के
अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण—पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी
कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब)
तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास
परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी
किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय
निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

अनुसूचित जाति / जनजाति प्रमाण—पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....	जिला.....	मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....	प्रकरण क्रमांक.....	प्रमाण पत्र क्रमांक.....

अस्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... पिता/ पति
का नाम..... निवासी ग्राम/ नगर.....

संभाग.....	वि.खं.....	तहसील.....	जिला.....
जाति/ जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यहजाति/ जनजाति का/ की सदस्य है और इस अनुसूचित जाति/ जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह		
.....पर अंकित है। अतः श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....पिता/ पति का नाम.....अनुसूचित जाति/ जनजाति का/ की है।	

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए..... है।

दिनांक

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम(सील)

यह प्रमाण—पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....	जिला.....	मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....		प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....		जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री
श्री..... निवासी ग्राम/शहर.....
..... तहसील..... जिला..... मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.....
..... जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, द्वारा
अधिमान्य किया गया है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला.....
संभाग..... में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर
(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में
तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8 मार्च
1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी..... के परिवार
की कुल वार्षिक आय रूपये..... है।
3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को प्रवर्जन कर चुका
है।

दिनांक

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम(सील)

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण—पत्र

अस्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....	जिला.....	मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....		प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....		

जाति प्रमाण—पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री
श्री..... निवासी ग्राम/शहर.....
..... तहसील..... जिला..... मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो.....
..... जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8—5 पच्चीस 4—84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, द्वारा
अधिमान्य किया गया है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला.....
.... संभाग..... में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर
(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम—3 में
तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7—26/93/1—आ.प्र., दिनांक 8 मार्च
1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी..... के परिवार
की कुल वार्षिक आय रूपये..... है।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को प्रवर्जन कर चुका
है।

दिनांक	हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम पदनाम(सील)
--------------	--

यह प्रमाण—पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा।

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र
भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो
व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.
..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये
उम्मीदवार श्री/कुमारी..... के पिता/माता है—

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे ...
.....पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक.....था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक....
.....के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो
गए हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है।

स्थान :
दिनांक:

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता है-

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना मेंओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं वे इस इकाई में दिनांक.....से सेवारत है।
अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक..के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं।

स्थान :

दिनांक:

हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग

(कार्यालय सील)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण—पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी(उम्मीदवार का नाम)..... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष..... के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से..... पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी..... के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से.....(स्थान) तहसील..... जिला..... में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान :
दिनांक:

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती (उम्मीदवार का नाम) श्री / श्रीमती (उम्मीदवार के पिता / माता का नाम) के / वैध (Legitimate) पुत्री / पुत्र है जो श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के / वैध (Legitimate) पुत्री / पुत्र है।

2. श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक पर पंजीकृत है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक:
.....

कलेक्टर

(कार्यालय सील)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण—पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....
आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री.....जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल
द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का
नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है ने नियमित छात्र/छात्रा के रूप में इस
संस्था.....(संस्था का नाम) में सत्र.....
से सत्र.....तक अध्ययन किया है।

स्थान : संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

दिनांक: नाम एवं पद.....

(कार्यालय सील)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण—पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....
 आत्मज/आत्मजा/पत्नी/ श्री..... जो तहसील.....
 जिला..... मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/ हुई है
अथवा
2. वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है।
अथवा
3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।
अथवा
4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग व्यवसाय रखते हैं।

इसके अतिरिक्त

1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।
अथवा
2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

- (क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा
 (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा

स्थान :

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

(कार्यालय सील)

टिप्पणी : जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावे।

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण—पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... जो
 व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.
के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये
 उम्मीदवार है, श्री/ श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री है।

- (क) जो..... विभाग में.....पद पर(तिथि) से
 पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हैं।
 अथवा
- (ख) जो..... विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के
 कर्मचारी थे और जो(तिथि) को इस विभाग से सेवा निवृत्त हुए।
 अथवा
- (ग) जो..... विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के
 कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए.....(तिथि) को हो गई थी।
 अथवा
- (घ) जो..... विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश संवर्ग में धारित
 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

स्थान :
दिनांक:कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय सील)

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण—पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / आत्मजा / पत्नी / श्री
..... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)
..... वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)
पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री / श्रीमती का / की पुत्र / पुत्री है,
जो दिनांक 1 जनवरी 2013 अथवा उसके पूर्व की तिथि से मध्यप्रदेश में स्थित
..... विभाग में पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन / सार्वजनिक उपक्रम
का / की कर्मचारी है।

स्थान :

कार्यालय प्रमुख / सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

नाम एवं पद.....

(कार्यालय सील)

मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण—पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....
..... वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है, श्री/श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री है, जो.....योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement scheme) है।

स्थान :

हस्ताक्षर : कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक:

(कार्यालय सील)

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र

Office of the Zonal Officer

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that S/o or D/o
..... R/o

Tehsil District.....

A/P Pin is registered from No.
..... R/Card

No..... At S.No.
..... of his/her father ration card issued from this zone.

Seal of Tehshildar

Zonal Officer / Tehshildar

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण—पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी आत्मज/आत्मजा/श्री जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री..... (उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता श्री/श्रीमती..... मध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में रही है ।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक (सील)

राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले
खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/आत्मजा/श्री ने वर्ष की
..... में भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल
विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर आयोजित
..... राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण
पदक अर्जित किया है ।

स्थान
दिनांक

संचालक
खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश
हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट :—ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना जावेगा ।

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन

(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/ उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

स्थान
दिनांक

(देखें नियम 1.17)

आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन
**(नोट— यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल
 कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा)**

परीक्षा का नाम	
अभ्यार्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यार्थी का नाम	
अभ्यार्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यार्थी का सेट क्रमांक	

मण्डल की वेबसाइट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में
 निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स.क्र.	उत्तर क्रमांक	आदर्श कुंजी में प्रदर्शित उत्तर	अभ्यार्थी के अनुसार उत्तर	उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक

Table -1

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH			
TENTATIVE SEATS IN B.E COURSE FOR THE SESSION 2013-14			
AUTONOMOUS AND GOVT. AIDED INSTITUTIONS			
S.No.	Institute Name	Branch	Total Seats
1	Gwalior MITS(1957)	BT	30
		CE	60
		CM	30
		CSE	60
		EC	60
		EE	65
		IT	60
		ME	65
2	I.G. Sagar engg. College(1981)	CE	30
		EC	60
		EE	60
		IT	60
		ME	60
3	Indore SGSITS (1952)	BM	60
		CE	120
		CSE	90
		EC	90
		EE	60
		EI	60
		IP	60
		IT	90
4	Jabalpur engg. College (1947)	ME	60
		CE	90
		CSE	90
		EC	90
		EE	60
		IP	90
		IT	90
5	Rewa engg. College(1964)	ME	80
		CE	60
		EC	60
		EE	40
6	Ujjain engg. College (1966)	ME	60
		CE	30
		CM	60
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
7	Vidisha SATI (1960)	ME	60
		BM	60
		CE	60
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		EI	60

		IT	60
		ME	60
		PCE	60
	TOTAL		
	SELF FINANCING INSTITUTIONS		
1	BUIT,BPL (1997)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		IT	30
		MECH	60
2	IE Jiwaji University,GWL(1996)	CHEM	40
		EL	60
		CSE	60
3	IET DAVV,IND (1996)	CE	60
		CSE	120
		EI	60
		ET	120
		IT	120
		MECH	60
4	IPST MGVV,Chitrakoot (1991)	FOOD	30
		IT	60
5	RJIT, Tekanpur (1999)	AUTO	30
		EC	60
		IT	30
		MECH	30
		EE	30
6	UIT RGPV,BPL (1986)	CE	60
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
		AUTO	60
		PCT	60
7	SET, Vikram University, Ujjain (2011)	CE	60
		MECH	60
		EC	120
		EE	60
	TOTAL		
	PRIVATE UNIVERSITIES		
1	AISECT Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009) (AISECT UNIVERSITY, BHOPAL)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
2	Oriental Institute of Sc & Technology, Indore (2007) (ORIENTAL UNIVERSITY, INDORE)	CE	60
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
3	Peoples College of Resc., & Tech., Bhopal (2007) (PEOPLES UNIVERSITY, BHOPAL)	CSE	60
		EC	90
		EE	30

		IT	60
		MECH	120
4	Integral Institute of Information Technology, Gwalior (2010) (ITM UNIVERSITY, GWALIOR)	CE	120
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		IT	60
		MECH	120
		TOTAL	1560
PRIVATE INSTITUTIONS			
1	Acropolis Institute of Tech & Research, Indore (2005)	CE	120
		CSE	180
		EC	90
		IT	90
		MECH	120
2	Acropolis Institute of Tech & Research, Bhopal (2007)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		IT	60
		MECH	60
3	Acropolis Technical Campus (Transnational Knowledge Society's Group of Insts.), Indore (2009)	CE	120
		CSE	180
		EC	120
		MECH	120
4	Adina Inst. of Sc. & Tech., Sagar (2009)	CE	120
		CSE	60
		EC	120
		MECH	60
5	Aditya College of Tech. & Sc., Satna (2007)	CE	120
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	30
		MECH	180
6	AGNOS College of Tech., Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60
7	All Saints College of Engineering, Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
8	All Saints College of Technology, Bhopal (2002)	CE	60
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
9	Alpine Institute of Tech., Ujjain (2007)	CE	60
		CSE	90
		EC	60
		EE	60
		IT	60

		MECH	60
10	Astral Institute of Technology & Res, Indore (2006)	CE	60
		CSE	120
		EC	90
		IT	60
		MECH	120
11	Babulal Tarabai Inst. of Research & Tech(BTIRT), Sironga, Distt. Sagar (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		IT	60
		MECH	120
12	Bagulamukhi College of Tech., (BMCT), Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		MECH	60
13	Balaji Institute of Technology, Barawani (2011)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
14	Bansal College of Engg,Mandideep (2002)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	120
		IT	120
		MECH	120
15	Bansal Inst. of Research & Tech., Bhopal (2007)	CSE	120
		EC	120
		IT	60
		MECH	120
		CE	60
16	Bansal Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2000)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		EI	60
		ELECT ELEX	120
		IT	120
		MECH	120
17	Bapu Institute of Technology and Management, Morena (2011)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		MECH	60
18	Bathesda Institute of Technology and Science, Gwalior (2011)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
19	Bhabha College of Engg., Bhopal (2008)	CSE	60
		EC	120
		IT	60
		MECH	120

		EE	60
20	Bhabha Engg. Research Institute, Bhopal (2003)	CSE	120
		EC	120
		EE	60
		IT	60
		MECH	90
		CE	60
21	Bhartiya Vidya Mandir College of Tech & Mgmt., Gwalior (2004)	CSE	90
		EC	120
		IT	90
		MECH	90
22	Bhopal Inst of Technology & Sc., Bhopal (2002)	CSE	90
		EC	120
		ELECT ELEX	90
		MECH	120
23	Bhopal Inst. of Technology, Bhopal (2007)	CSE	90
		EC	90
		ELECT ELEX	120
		MECH	120
24	Bhopal Institute of Tech. & Mgmt.(BITM), Bhopal (2009)	CSE	60
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	120
25	BM College of Tech., Indore (2007)	CE	60
		CSE	120
		EC	60
		MECH	120
		IT	60
26	Central India Institute of Technology, Indore (2004)	CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	120
		IT	60
		MECH	120
27	Chameli Devi Group of Institutions (Chameli Devi Institute of Technology & Management, Indore) (2006)	CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	180
28	Corporate Inst. of Research & Tech., Bhopal (2011)	CE	60
		EC	60
		MECH	120
29	Corporate Inst. of Science & Tech., Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	120
30	Crescent College of Tech., Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	60

		EC	60
		IT	60
		MECH	60
31	Crescent College of Tech.,Indore (2009)	CSE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
32	Gargi Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2008)	CE	90
		CSE	60
		EC	60
		IT	30
		MECH	60
33	Girdhar Siksha Evam Samaj Kalyan Samiti Group of Inst., Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	120
34	GITS Gwalior Institute of Tech. and Sc., Gwalior (2007)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		IT	60
		MECH	120
35	Global Inst. of Engg. & Sc., Sendhwa (2008)	CE	60
		CSE	90
		EC	90
		MECH	60
36	Global Nature Care Sangathan's Group of Inst.,Raighawa Jabalpur (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		IT	60
		MECH	120
37	Globus Engg College,Bhopal (2003)	CSE	90
		EC	90
		ELECT ELEX	120
		MECH	120
38	Guru Ramdas Khalsa Instt of Sc. & Technology, Jabalpur (1997)	CSE	60
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	120
		CE	60
39	Gwalior Engg. College,Gwalior (2003)	CSE	120
		EC	120
		IT	60
		MECH	120
40	Gwalior Inst. of Information Tech., Gwalior (2008)	AEIE	60
		CE	60
		CSE	60
		EC	120
		IT	60
		MECH	60
41	Gyan Ganga College of Technology, Jabalpur (2006)	CE	60
		CSE	180
		EC	180

		ELECT	ELEX	120
		IT		60
42	Gyan Ganga Inst of Tech & Management, Bhopal (2007)	CSE		120
		EC		120
		ELECT	ELEX	120
		IT		60
		MECH		120
43	Gyan Ganga Institute of Technology & Science, Jabalpur (2003)	CE		60
		CSE		180
		EC		180
		EE		120
		ELECT	ELEX	60
		IT		60
		MECH		120
44	Gyan Sagar College of Engg., Seronja, Distt., Sagar (2009)	CE		60
		CSE		60
		EC		60
		ELECT	ELEX	60
		MECH		120
45	Hindustan Institute of Technology Science and Management, Gwalior (2010)	CE		60
		CSE		60
		EC		60
		EE		60
		MECH		60
46	Hitkarni College of Engg. Tech., Jabalpur (1997)	CE		60
		CSE		60
		EC		60
		ELECT	ELEX	60
		IT		60
		MECH		60
47	IASSCOM Fortune Inst. of Tech., Bhopal (2008)	CE		60
		CSE		90
		EC		90
		ELECT	ELEX	60
		IT		30
		MECH		30
48	IES College of Technology, Bhopal (2007)	CE		60
		CSE		120
		EC		120
		ELECT	ELEX	60
		MECH		120
49	IES Inst. of Tech. & Mgmt., Bhopal (2009)	CE		120
		CSE		60
		EC		120
		MECH		120
50	IMT Group of Institutions (Institute of Management & Tech.), Gwalior (2009)	CE		60
		CSE		60
		EC		60
		EE		60
		MECH		60
51	Indore Inst. of Sc. & Tech. Dehri Distt., Indore (2003)	Comp		60
		CSE		120
		EC		120

		IT	60
		MECH	120
		CE	60
		CHEM	60
52	Indore Inst. of Sc. & Tech.(II), Indore (2009)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		MECH	120
		ELECT ELEX	60
53	Infinity Mgmt. & Engg. College, Patharia Jat Sagar (2008)	CE	120
		CSE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
54	Institute of Engg. Scs IPS Academy, Indore (1999)	CE	120
		CHEM	60
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		FIRE	120
55	IPS College of Technology & Mgmt., Gwalior (2007)	CE	60
		CSE	60
		EC	90
		EE	60
		IT	60
		MECH	120
56	ITM GROUP OF INSTITUTIONS (Institute of Information Technology & Management, Gwalior) (2002)(Technical campus)	CE	120
		CSE	90
		EC	90
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
57	ITM GROUP OF INSTITUTIONS (Institute of Technology & Mgmt., Gwalior) (1997) (Technical campus)	CHEM	120
		CSE	180
		EC	180
		EI	120
		IT	60
		MECH	90
58	J N College of Tech, Bhopal (2003)	CSE	90
		EC	120
		ELECT ELEX	120
		IT	120

		MECH	120
59	Jagadguru Dattatray College of Tech, (JDCT), Indore (2006)	CE	60
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
60	Jai Narayan College of Tech & Sc, (JNCTS) Bhopal (2007)	CE	120
		CSE	90
		EC	120
		EE	60
61	Jawaharlal Institute of Tech.,Khargone (1997)	CE	120
		CSE	90
		EC	90
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	120
62	Jawaharlal Nehru College of Tech., REWA (2007)	CE	120
		CSE	90
		EC	90
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	120
		MINING	60
63	Bansal Institute of Research Technology & Science, Bhopal (2008)	CE	120
		CSE	60
		EC	120
		IT	60
		MECH	60
64	kailash Narayan Patidar College of Sc. & Tech. (KNPCST), Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	90
		IT	60
		MECH	90
65	Kamla Kant Institute of Technology and Management, Gwalior (2010)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		MECH	60
66	Sushila Devi Bansal Colloge of Engineering, Indore (2006)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		IT	60
		MECH	120
67	Kopal Inst. of Sc. & Tech.,Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
68	Lakshmi Narayan Academy of Tech.,(LNAT), Gwalior (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60
69	Late Ramoti Devi Ist. of Engg., Ujjain (2008)	CE	60

		EC	60
		MECH	60
70	Laxmi Narayan College of Technology & Sc., Bhopal (2006)	CE	60
		CSE	120
		EC	90
		IT	60
		MECH	120
		PRODUCTION	60
71	Laxmi Narayan College of Technology, (LNCT), Jabalpur (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	90
		ELECT ELEX	60
		MECH	120
72	Laxmi Narayan College of Technology, Bhopal (1994)	CE	60
		CSE	120
		EC	120
		EE	60
		EI	60
		ELECT ELEX	120
		IT	120
		MECH	180
		CHEM	60
73	Laxmi Narayan College of Technology, Indore (2004)	AUTO	60
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	90
		MECH	120
74	Laxmi Narayan Institute of Technology, (LNIT), Gwalior (2008)	CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
75	Laxmibai Sahuji Inst. of Engg. & Tech., Jabalpur (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
76	Laxmipati Inst. of Sc. & Tech.(LIST), Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
77	Lord Krishna College of Tech., Indore (2006)	CE	60
		CSE	120
		EC	120
		MECH	120
78	Maa Kailadevi Inst. of Information Tech., Gwalior (2008)	CE	60
		CSE	90
		EC	90
		ELECT ELEX	60
		IT	60

		MECH	60
79	Madhav Prodyogiki Mahavidhyalaya, (MPM) Bhopal (2009)	CE	120
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		MECH	120
80	Mahakal Institute Tech & Mgmt. Ujjain (2007)	CE	60
		CSE	90
		EC	90
		IT	60
		MECH	120
81	Mahakal Institute Tech & Sc., Ujjain (2006)	EC	90
		EI	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
82	Mahakal Instute of Technology,Ujjain (2001)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	90
		IT	90
		MECH	120
83	Maharana Pratap College of Tech., Gwalior (1996)	CE	60
		CSE	90
		EC	120
		EE	60
		IT	60
		MECH	90
84	Maharana Pratap College of Tech. & Mgmt., Gwalior (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		IT	60
85	Mahatma Gandhi Inst. of Engg. & Mgmt., Indore (2007)	CE	120
		CSE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
86	Malhotra Technical Res. Inst., Bhopal (2009)	CE	120
		CSE	60
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	120
87	Malwa Inst. of Sc. & Technology, Limbod Gari, Indore (2008)	CE	120
		CSE	60
		EC	120
		IT	60
		MECH	60
88	Malwa Inst. of Tech. & Mgmt.,Gwalior (2009)	CE	120
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		MECH	60
89	Malwa Institute of Technology, Indore (2004)	CE	120
		CSE	120

		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	120
90	Mandsaur Institute of Tech.,Mandsaur (1996)	CSE	90
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	90
		CE	60
91	Mandsaur Institute of Technology,Indore (2010)	CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
92	Mansarovar Inst. of Sc. & Tech.,Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
93	Mathura Devi Inst. of Tech. & Mgmt., Indore (2007)	CE	60
		CSE	120
		EC	120
		IT	60
		MECH	60
94	Maxim Institute of Tech., Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	120
95	Medicaps Inst. of Sc. & Tech., Indore (2009)	AUTO	60
		CE	120
		CSE	120
		EC	60
		IT	60
96	Medi-Caps Institute of Technology & Mgmt., Indore (2000)	CSE	120
		EC	180
		EI	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	120
97	Millenium Inst. of Tech., Bhopal (2009)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		IT	60
		MECH	120
98	Millenium Institute of Tech. & Sc., Bhopal (2007)	CE	120
		CSE	60
		EC	120
		ELECT ELEX	120
		MECH	120
99	Mittal Inst. of Tech., Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	60

		EC	120
		EE	60
		IT	60
		MECH	120
100	Nagaji Inst. of Tech. & Mgmt., Gwalior (2003)	CE	60
		CSE	90
		EC	120
		EE	30
		IT	60
		MECH	60
101	Nagaji Inst. of Tech. & Mgmt., Datia (2009)	BM	60
		CE	120
		CSE	60
		EC	120
		MECH	60
102	Nalin Institute of Technology, Indore (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
		ELECT ELEX	60
103	NRI College of Engg. & Mgmt., Gwalior (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		MECH	60
104	NRI Inst. of Res. & Tech., Bhopal (2008)	CE	120
		CSE	60
		EC	120
		EE	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	120
105	NRI Institute of Information Sc. & Tech., Bhopal (2001)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	120
		IT	60
		MECH	180
106	NRI Institute of Tech. & Mgmt., Gwalior (2002)	CE	30
		CSE	120
		EC	120
		EI	30
		IT	90
		MECH	30
107	Ojaswini Inst. of Management & Tech., (OIMT) Damoh (2007)	CE	60
		CSE	60
		EC	90
		ELECT ELEX	60
		IT	30
		MECH	120
108	Oriental Engg. College, Andhua, Distt., Jabalpur (2008)	CE	120
		CSE	60
		EC	120

		IT	60
		MECH	60
109	Oriental Inst. of Sc. & Tech., Andhua, Distt., Jabalpur (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
110	Oriental Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (1995)	AUTO	60
		CE	60
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	120
		IT	120
		MECH	120
111	PATEL GROUP OF INSTITUTIONS (Patel College of Sc. & Technology, Bhopal)(2002)	CSE	120
		EC	120
		IT	90
		MECH	120
112	PATEL GROUP OF INSTITUTIONS (Patel College of Sc. & Technology, Indore)(2005)	CE	120
		CSE	120
		EC	90
		IT	90
		MECH	120
113	PATEL GROUP OF INSTITUTIONS (Patel Institute of Engg. & Sc., Bhopal) (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		IT	60
		MECH	120
114	PATEL GROUP OF INSTITUTIONS (Patel Institute of Technology, Bhopal) (2007)	CE	60
		CSE	90
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		EE	60
115	Prakash Inst. of Engg. & Tech.,JBL (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
116	Prashantee Inst. of Tech. & Science, Ujjain (2008)	CE	60
		CSE	60
		MECH	120
		EC	60
117	Premier Institute of Technology, Jabalpur (2010)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
118	Prestige Inst. of Eng. & Sc., Indore (2008)	CE	120
		CSE	60
		EC	60

		MECH	120
		EE	60
119	Priyatam Institute of Tech., & Mgmt., Indore (2007)	CE	60
		CSE	90
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	90
		MECH	60
120	PT. DEVPRABHAKAR SHASTRI COLLEGE OF TECHNOLOGY, Chahatrapur (2010)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		IT	60
		MECH	60
121	Radha Raman Inst. of Resc., & Tech., Bhopal (2007)	CSE	120
		EC	60
		IT	60
		MECH	120
122	Radha Raman Institute of Tech., & Sc., Bhopal (2003)	CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	90
		MECH	120
123	Radharaman Engg. College, Bhopal (2006)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	90
124	Radhaswami Institute of Tech., Jabalpur (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
125	Rajeev Gandhi Prodyogiki Mahavidhyalaya, Bhopal (2006)	CE	90
		CSE	60
		EC	90
		IT	60
		MECH	120
126	Rajeev Gandhi Prodyogiki Mahavidhyalaya-2, Bhopal (2007)	CSE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
127	Shri Rawatpura Sarkar Inst. of Tech.,Jabalpur (2009)	CE	120
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		MECH	120
128	Rewa Institute of Tech., Hazur Distt.,Rewa (2003)	CE	60
		CSE	120
		EC	120
		IT	120
		MECH	60
129	Rishiraj Institute of Technology, Indore (2002)	CE	60

		CSE	90
		EC	120
		MECH	120
130	RKDF College of Engg., Bhopal (2006)	CE	120
		CSE	90
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	90
		MECH	120
131	RKDF College of Tech. & Res., Bhopal (2008)	CE	60
		CSE	90
		EC	90
		IT	60
		MECH	120
132	RKDF College of Tech., Jatkchedi, Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		MECH	120
		EE	60
133	RKDF Institute of Sc. & Tech., Bhopal (1995)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		EE	120
		EI	60
		ELECT ELEX	120
		IT	120
		MECH	120
		EX	60
134	RKDF School of Engg., Indore (2005)	CE	120
		CSE	90
		EC	90
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	120
135	Royal College of Technology, Indore (2006)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
136	Rukmani Devi Institute of Sc. & Tech., Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
		IT	90
137	Sagar Inst. of Resc. Tech & Sc. (SIRTS), Bhopal (2007)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
138	Sagar Inst. of Research & Tech. Excellence, (SIRTE) Bhopal (2008)	CSE	120
		EC	120

		IT	60
		MECH	120
		CE	60
139	Sagar Inst. of Research & Tech., (SIRT) Bhopal (2003)	CE	120
		CSE	180
		EC	180
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	120
140	Sagar Inst. of Sc. & Tech. & Resc., (SISTec-R), Bhopal (2009)	CE	120
		CSE	120
		EC	60
		MECH	120
141	Sagar Inst. of Sc. & Tech. Bhopal (2007)	CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	120
		IT	60
		MECH	120
		CE	60
142	Sagar Inst. of Sc.,Tech. & Engg.(SISTec-E), Bhopal (2009)	CSE	60
		EC	120
		EE	60
		MECH	120
143	Saint Aloysius Inst. of Tech., Jabalpur (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
144	SAM College of Engg. & Tech., Bhopal (2007)	CE	60
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
145	Sanghvi Inovative Acadamy, Indore (2008)	CE	120
		CSE	60
		EC	120
		IT	60
		MECH	120
146	Sanghvi Institute of Management & Science, Rau, Indore (2006)	CE	120
		CSE	90
		EC	120
		IT	60
		MECH	60
147	Saraswati Inst. of Engg. & Tech., Jabalpur (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
148	Sardar Patel College of Tech., Balaghat (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	60

149	Sardar Patel Institute of Technology and Management, Mandleshwar, Khargone (2010)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	120
150	Satyam Education & Social Welfare Society Group of Insts., Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	120
151	SCOPE College of Engg., Bhopal (2005)	CSE	90
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	120
152	SGBM Inst. of Tech. & Sc., Bineke, Distt., Jabalpur (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		IEM	60
		MECH	60
153	Sha-Shib College of Tech., Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	60
154	Shiv Kumar Singh Inst. of Tech.& Sc., Indore (2007)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
155	Shree Institute of Sc & Technology (SIST), Bhopal (2002)	FIRE	60
		CE	60
		CSE	120
		EC	120
		IT	60
156	Shreejee Institute of Technology and Management, Khargone (2010)	MECH	60
		CE	60
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
157	Shri Balaji Inst. of Tech. & Mgmt. Gohchi, Distt., Betul (2009)	MECH	60
		CE	60
		CSE	60
		EC	60
		MECH	120
158	Shri Guru Sandipani Inst. of Tech. & Sc., Ujjain (2009)	ELECT ELEX	60
		CE	60
		CSE	60
		EC	60
159	Shri Krishna Institute of Technology & Management, Gwalior (2010)	MECH	60
		CE	60
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		MECH	60

160	Shri Ram College of Engg. & Mgt. ,Banmore,Morena (1998)	CSE	60
		EC	120
		IP	30
		IT	30
		MECH	90
161	Shri Ram College of Tech., Bhopal (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
162	Shri Ram Group of Institution (Faculty of Engg., Pharmacy,MBA,MCA)(Rewa Sikhsha Samiti's Group of Institutions),Jabalpur (2009)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		MECH	120
		EE	60
163	Shri Ram Inst. of Information Tech., Banmore,Morena (2007)	CE	60
		CSE	90
		EC	120
		EI	60
		MECH	120
164	Shri Ram Inst. of Sc. & Tech., Jabalpur (2007)	CE	60
		CSE	120
		EC	120
		MECH	60
165	Shri Ram Institute of Tech., Jabalpur (2001)	CSE	120
		EC	120
		EE	60
		ELECT ELEX	30
		IT	90
		MECH	60
		CE	60
166	Shri Rawatpura Sarkar Institute of Technology, Datia (2002)	BT	60
		CE	60
		CSE	120
		EC	120
		IT	60
		MECH	60
167	Shri Vaishnav Instt. of Tech. & Sc., Indore (1995)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		EI	90
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	120
168	Shri Venkateshwar Institute of Technology, Indore (2006)	TX	60
		CE	60
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60

169	Shri Yogindra Sagar Inst. of Tech. & Sc., Dharad, Distt., Ratlam (2008)	CE	120
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		IT	60
		MECH	60
170	Sparta Institute of Technology & Management, Bhopal (2010)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		MECH	60
171	Srajan Inst. of Technology, Mgmt. & Sc., Ratlam (2009)	CE	60
		EC	60
		IT	60
		MECH	60
172	Sri Aurobindo Inst. of Tech., Indore (2009)	CE	120
		CSE	60
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
173	Sri Dadaji Inst. of tech. & Sc., Khandawa (2004)	CE	60
		CSE	120
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
174	Sri Satya Sai College of Engg. Bhopal (2007)	CSE	120
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	120
		CE	60
		EE	60
175	Sri Satya Sai Institute of Sc. & Tech.,Sehore (1999)	CE	120
		CHEM	60
		CSE	120
		EC	120
		EE	120
		EI	60
		ELECT ELEX	120
		IT	120
		MECH	120
		AERONAUTICAL	60
176	Star Academy of Tech & Management, Indore (2007)	CSE	90
		EC	90
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
177	Surabhi College of Engg. & Tech., Bhopal (2008)	CSE	90
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60

178	Surabhi Group of Institutions, Bhopal (2010)	CE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	120
179	Sushila Devi Bansal College of Technology (SDBCT), Indore (2005)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		IT	120
		MECH	120
180	Swami Vivekanand College of Engg., Indore (2004)	CE	60
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	90
		MECH	120
183	Swami Vivekanand College of Sc & Tech, Bhopal (2006)	CE	60
		CSE	90
		EC	90
		IT	90
		MECH	60
184	Swami Vivekanand Inst. of Tech., Sagar (2008)	CE	120
		CSE	90
		EC	120
		ELECT ELEX	30
		IT	30
		MECH	120
185	Synergy Inst. of Tech., Dewas (2008)	CE	60
		CSE	60
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	120
186	Takshila Institute of Tech., Jabalpur (2004)	CSE	90
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	90
		MECH	180
		CE	60
187	Technocrats Institute of Tech. & Sc., Bhopal (2007)	CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	180
		CE	60
188	Technocrats Institute of Tech. (Excellence), Bhopal (2007)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		IT	60
		MECH	120
		ELECT ELEX	60
189	Technocrats Institute of Technology, Bhopal (2000)	CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	30

			IT	120
			MECH	120
			CE	60
190	Oriental College of Technology, Bhopal (2002)		CSE	120
			CE	60
			EC	120
			ELECT ELEX	60
			IT	120
			MECH	120
191	Thakur Shiv Kumar Singh Memorial Engineering College, Burhanpur(2011)		CE	60
			CSE	60
			EC	60
			EE	60
			MECH	60
192	TIT College, Bhopal (2008)		CE	120
			CSE	120
			EC	120
			IT	60
			MECH	180
193	Trinity Inst. of Tech. & Research, Bhopal (2008)		CE	60
			CSE	60
			EC	120
			ELECT ELEX	120
			IT	60
			MECH	120
194	Truba College of Engg. & Technology, Indore (2005)		CE	120
			CSE	120
			EC	120
			IT	120
			MECH	120
195	Truba College of Sc. & Tech., Bhopal (2009)		CE	60
			CSE	120
			EC	120
			ELECT ELEX	60
			MECH	120
196	Truba Institute of Engg. & Information Tech., Bhopal (2001)		CE	120
			CSE	120
			EC	120
			ELECT ELEX	60
			IT	120
			MECH	120
197	Vaishnavi Institutes of Technology and Science(VITS),Bhopal (2010)		CE	60
			CSE	60
			EC	60
			EE	60
			MECH	120
198	Vedica Institute of Technology, Bhopal (2007)		CSE	120
			EC	120
			ELECT ELEX	60
			IT	60
			MECH	120
			CE	60
199	Vidhyapeeth Inst. of Sc. & Tech., Bhopal (2009)		CE	60

		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	120
200	Vidya Sagar Institute of Technology, Indore(2011)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		Fire Tech & Safety	60
		MECH	60
201	Vikrant Inst. of Tech. & Mgmt., Gwalior (2009)	CE	120
		CSE	120
		EC	120
		IT	60
		MECH	120
202	Vikrant Institute of Tech. & Mgmt., Indore (2007)	CE	60
		CSE	90
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		IT	60
		MECH	60
203	Vindhya Institute of Tech. & Sc., Indore (2006)	CE	60
		CSE	120
		EC	90
		ELECT ELEX	30
		IT	90
		MECH	180
204	Vindhya Institute of Tech. & Sc., Jabalpur (2007)	CE	60
		CSE	90
		EC	90
		IT	60
		MECH	90
205	Vindhya Institute of Tech. & Sc.,Satna (2002)	CSE	120
		EC	180
		EE	30
		IT	90
		MECH	120
206	VNS GROUP OF INSTITUTIONS (VNS Institute of Technology, Bhopal) (2006)	CE	60
		CSE	120
		EC	120
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
207	New-Tech Institue of Engineering & Technology, Dewas (2012)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		ELECT ELEX	60
		MECH	60
208	Sakshi Institue of Technology & Management, Guna (2012)	CE	60
		CSE	60
		EC	60
		EE	60
		MECH	60

	Total	90900
	GRAND TOTAL	97640

Table-2

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH		
TENTATIVE SEATS IN B.PHARMACY COURSE FOR THE SESSION 2013-2014		
GOVT. AIDED INSTITUTIONS AND SELF FINANCING INSTITUTIONS		
S.No.	NAME OF INSTITUTION	SEATS
	(A) AIDED	
1	Shri G.S. Institute of Technology, Indore	60
		TOTAL
		60
	(B) SELF FINANCING	
1	Department of Pharmacy,Bharkatullah University,Bhopal	60
2	School of Studies in Pharmaceutical Science,Jiwaji University. Gwalior	60
		TOTAL
		120
	(C) PRIVATE UNIVERSITY	
S.No.	Name of Colleges	
1	Oriental College Of Pharmacy and Research (Oriental University, Indore) , Indore	60
2	People's Inst,Of Pharmacy & Res., Center (Peoples University, Bhopal),Bhopal	60
		TOTAL
		120
PRIVATE INSTITUTIONS		
S.No.	Name of Colleges	
1	Acropolis Institute of Pharmacutical Edu.& Res. Indore	60
2	Adina Instt. of Pharma Sc. (AIPS) , Sagar	60
3	B.M. College of Pharmaceutical Edu. & Res., Indore	180
4	Baba Loknath Indian Institute of Pharmacy Science and Research Centre, Sagar	60
5	Bansal College of Pharmacy, Bhopal	60
6	Bhabha Pharmacy Research Inst.,Bhopal	60
7	Bhagyoday Tirth Pharmacy College , Sagar	60
8	Bhartiya Vidya Mandir, College of Pharmacy, Gwalior	60
9	Bhopal Instt. of Tech. and Sc.(Pharmacy) Bangrasiya , Bhopal	60
10	BR Nahata College of Pharmacy, Mandsaur	60
11	Central India Inst. of Pharmacy , Indore	60
12	Charak Institute Of Pharmacy,Khargone	120
13	Chordia Inst. of Pharmacy, Indore	60
14	College of Pharmacy, IPS Academy, Indore	120
15	Daksh Inst. of Pharmaceuticals Sc.,Chhattarpur	60
16	DR. Satyendra Kumar memorial College of Pharmacy Bhopal	60
17	Dr. Shri RMS Institute of Science and Technology,College of Pharmacy, Mandsaur	60
18	Globus College of Pharmacy , Bhopal	60
19	GRY Instt. of Pharmacy(Borawan) ,Khargone	120

20	Guru Ramdas Khalsa Inst. of Sc. & Tech(Pharmacy), Jabalpur	60
21	Gurukul Institute of Pharmaceutical Sci. & Res. Gwalior	60
22	IES College of Pharmacy , Bhopal	60
23	Indore Institute of Pharmacy, Indore	120
24	Instt. of Prof. Studies , College of Pharmacy (Degree) , Gwalior	60
25	Kailash Narayan Patel College of Pharmacy, Bhopal	60
26	Lakshmi Narain College of Pharmacy,Bhopal	60
27	Laxmi Narain Acadamy of Pharmacy, Gwalior	60
28	Mahakal Instt. of Pharmaceutical Studies, Ujjain	60
29	Malhotra College , Bhopal	60
30	Mandsaur Instt. of Pharmacy , Mandsaur	60
31	Millennium College of Pharmacy , Bhopal	120
32	Mittal Institute of Pharmacy Bhopal	60
33	Modern Inst of Pharmaceuticals science , Indore	120
34	Nagaji Instt. of Pharma. Sc. Gwalior	60
35	Nimar Inst. Of Pharmacy, Dhamnod (Dhar)	120
36	NRI Instt. of Pharmaceutical Sc. , Bhopal	60
37	NRI Instt. of Pharmacy, Bhopal	120
38	Oriental College of Pharmacy , Bhopal	60
39	Patel Group Of Institutions (Patel College of Pharmacy , Bhopal)	120
40	Pranav Inst. of Pharma. Sc. & Research., Gwalior	60
41	R.D . Mem. College of Pharmacy , Bhopal	60
42	R.K.D.F Instt. of Pharma. Sci. ,Indore	60
43	Radharaman College of Pharmacy, Bhopal	60
44	Radharaman Inst. of Pharmacetucals Sc., Bhopal	60
45	Rajeev Gandhi Inst. of Pharmacy,Sharganj,Satna	60
46	Rajiv Gandhi College of Pharmacy , Bhopal	60
47	Ravi Shanker College of Pharmacy , Bhopal	60
48	Rewa Collage Of Pharmacy , Rewa	60
49	Shri Ram Group of Institution (Faculty of Engg., Pharmacy,MBA,MCA)(Rewa Shiksha Samiti Group of Institutions), Jabalpur	60
50	Rishiraj College of Pharmacy, Indore	60
51	RKDF College of Pharmacy , Bhopal	120
52	RKDF School Of Pharmaceutical Science, Bhopal	60
53	Royal Institute of Management And Advance studies, Ratlam	60
54	Safe Institute of pharmacy, Indore	60
55	Sagar Inst. of Res. Tech. & Sc. Pharmacy (sirt S-P), Bhopal	60
56	Sagar Inst. of Research & Tech. Pharmacy, Bhopal	60
57	Sagar institute of Pharmacy and Technology, Bhopal	60
58	Sagar Instt. of Pharma. Sc. , Sagar	60
59	Sardar Patel College Of Tech (B.Pharmacy). ,Balaghat	60

60	Shri Bherulal Pharmacy Institute Indore	60
61	Shri Gujarati Samaj College Of Pharmacy, Indore	60
62	Shri Ram College of Pharmacy(Banmore), Morena	120
63	Shri Ram Instt. of Pharmacy, Jabalpur	60
64	Shri Ram Instt. of Tech(Pharmacy). , Jabalpur	60
65	Shri Ramnath Singh Inst. of Pharma. Sc., Gwalior	60
66	Shri Ramnath Singh Mahavidhyalaya (Pharmacy) Gormi, Bhind	60
67	Shri Rawatpura Sarkar Inst. of Pharmacy, Datia	120
68	Shri Sathya Sai Inst. of Pharmaceutical Sc., Bhopal	60
69	Shri Satya Sai School of Pharmacy, Sehore	60
70	Shri Satya Sai College of Pharmacy , Sehore	60
71	Smriti College of Pharm. Edu., Indore	60
72	Sri Aurobindo Inst. of Pharmacy, Inodre	120
73	Sri Satya Sai Pharmacy Research institute, Indore	60
74	Sun Inst. of Pharma. Edu. & Res., Lahar, Bhind	60
75	Swami Vivekanand College of Pharmacy, Indore	120
76	T.I.T. College of Pharmacy , Bhopal	120
77	Technocrats Instt. of Tech.(Pharmacy),Bhopal	120
78	Truba Inst. of Pharmacy, Bhopal	60
79	Ujjain Instt. of Phama. Sc . Ujjain	60
80	Vedic Inst. of Pharmaceutical Edu. & Res., Sagar	60
81	Vedica College of B.Pharmacy , Bhopal	60
82	Vikrant Inst.Of Pharmacy, Indore	180
83	Vivekanand College of Pharmacy Bhopal	60
84	VNS Group of Institutions (V.N.S. Instt. of Pharmacy , Bhopal)	60
	Total	6180
	Grand Total (Degree)	6480

Table-3

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, MADHYA PRADESH		
TENTATIVE SEATS IN D.PHARMACY COURSE FOR THE SESSION 2013-2014		
AUTONOMOUS AND GOVT. INSTITUTIONS		
S.No.	Name of Colleges	Seats
1	Kalaniketan (Polytechnic), Jabalpur	60
2	S.V.Polytechnic , Bhopal	60
		Total
		120
PRIVATE INSTITUTIONS		
S.No.	Name of Colleges	Seats
1	B.R.N College of Pharmacy,Mandsaur	60
2	Bhabha Polytechnic, Bhopal	60
3	Central India Inst. of Pharmacy (Diploma), Indore	60
4	Chaudhary Dilip Singh Pharmacy College , Bhind	60
5	Chouradia Inst. Of Pharmacy, Indore	60
6	Devi Ahilya College of Pharmacy,Indore	60
7	Dr. Shri RMS Instt. of Sc. & Tech. (Diploma in Pharmacy), Bhanpura	60
8	Gulabkali Mem. College of Pharmacy, Chakghat, Rewa	60
9	Indore Institute of Pharmacy (Indore Polytechnic), Indore	60
10	Malhotra College of Pharmacy, Bhopal	60
11	Mittal Institute of Pharmacy- Diploma , Bhopal	60
12	NRI Instt. of Diploma Pharmacy, Bhopal	60
13	R.K.D.F Instt. of Pharma. Sci. ,Indore	60
14	R.K.D.F Instt. of Pharmacy Bhopal	60
15	R.K.D.F Polytechnic (Pharmacy) , Bhopal	60
16	R.N.S. Instt. of Pharmacy, Gwalior	60
17	Rajiv Gandhi College of Pharmacy , Bhopal	60
18	Rewa Polytechnic, (Pharmacy), Rewa	60
19	Shri Ram Instt. of Tech.(Dip. Pharmacy) ,Jabalpur	60
20	Shri Ram Pharmacy College, Betul	60
21	Shri Ramnath Singh College of Pharmacy, Gormi Bhind	60
22	Shri Satya Sai Instt of Pharmacy Polytechnic, Bhopal	60
23	Shri Satya Sai Polytechnic(Pharmacy), Sehore	60
24	Swami Vivekanand College of Pharmacy, Bhopal	60
25	Swami Vivekanand Mahavidyalaya, Sagar	60
26	Technocrats Instt. of Tech. (Dip.Pharmacy), Bhopal	60
27	Vedica College Diploma Pharmacy , Bhopal	60
		Total
		1620
	Grand Total (Diploma)	1740
	GRAND TOTAL (DEGREE+DIPLOMA)	8220

अध्याय — 5

पाठ्यक्रम

1. PHYSICS

Unit and Dimensions, Dimensional Analysis, S.I, Units, Motion in two dimensions cases of uniform velocity and uniform acceleration, general relation among position and velocity, uniform circular motion and inertia. Newton's laws of motion, Conservation of momentum and energy. Static and kinetic friction. Work, energy and power elastic collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conservations to its kinetic energy. Potential energy of a spring. Rigid body rotation and conservation of its momentum, moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis.(moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation, universal law of gravitation, geostationary satellites, escape velocity. Hooke's law, young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

Specific heats and constant volume and constant pressure mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes.

Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's law and Newton's law of cooling.

Periodic motion, simple harmonic motion, Oscillations due to spring. wave motion, principle of superposition, progressive and stationary waves, beats and Doppler effect. Wave nature of light, interference, young's double slit experiment, velocity of light and Doppler effect in light.

Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, lenses, mirror and lens formulae. Dispersion in prism, absorption and emission spectra.

The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope.

"e" and "e/m" for electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life, mass energy relation, fissions, X-ray, properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semiconductors, p-n junction as a rectifier.

Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field , tangent galvanometer, vibration maganetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Guass's law in a simple geometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacities in series and parallel, energy of a capacitor.

Electric current, Ohm's law, Kirchhoffs laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance, Wheat stone bridge, potentiometer.

Measurement of voltage as currents.

Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis thermoelectricity Blot Savart law, magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field(Lorentz force), magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving coil, galvonometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced e.m.f., Faradays law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impedance and reactance, growth and decay of current in L-R circuit, elementary idea if dynamo and transformer.

-----X-----

2. CHEMISTRY :

GENERAL AND PHYSICAL CHEMISTRY

Structure of atom: constitutions of nucleus: Bohr's atom model: quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto Kr): De-Broglie relation, shapes of orbitals.

Chemical bond: electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridisation(sp): hydrogen bond: shapes of molecules(VSEPR theory): bond polarity, resonance, elements of VBT a MOT.

Solutions: models of expressing concentrations of solutions: types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non- ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid state: crystal lattices, unit cells, structure of ionic compounds: close packed structure ionic radii, imperfections (point defects): properties of solids.

Nuclear chemistry: radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement law structure and properties of nucleus: nucleus reaction, disintegration series artificial transmutation: isotopes and their uses: radiocarbon dating.

Chemical equilibrium: chemical equilibrium, law of mass action: K_p and K_c : Le Chatelier principle and its applications.

Ionic equilibrium in solutions, solubility product, and common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: PH: buffers.

Thermochemistry and thermodynamics: energy changing due to chemical reaction: intrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law heats of reactions: second law of thermodynamics: energy free energy: spontaneity of a chemical reaction: free energy change and chemical equilibrium: free energy as energy available for useful work.

Chemical kinetic: rate of a reaction, factors affecting the rates, rate constant rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenius equation.

Electrochemistry: oxidation, oxidation number and ion- electron methods. Electrolytic conduction, Faraday's law: voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibb's energy and cell potentials. Nernst equation, commercial cells, fuel cell, electrochemical theory of corrosion.

Surface chemistry, colloids and catalysis: Adsorption, colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, catalysis types and characteristics.

INOGRANIC CHEMISTRY:

Principle and metallurgical operations: furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.

Chemical periodicity s.p.d and f-block elements, periodic table: periodicity: atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electro negativity, metallic character.

Comparative study of elements: comparative study of following families of elements
1. Alkali metals 2. Alkaline earth metals 3. Nitrogen family 4. Oxygen family 5. Halogens 6. Noble gases.

Transition metals: electronic configuration of 3d metal ions, oxidation states, other general characteristics properties, potassium permanganate, potassium dichromate.

Co-ordination compounds: simple nomenclature, bounding and stability, classification and bonding in organometallics.

Chemical analysis: chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis: calculations based on acid base titrimetry.

ORGANIC CHEMISTRY:

Calculations of empirical and molecular formula of organic compounds, nomenclature of organic compounds, common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes, alkenes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkynes, benzene petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of haloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: general ideas of some polyhalogen compounds viz dichloroethanes dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride D.D.T benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of elmers aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives, brief account of the chemistry of cyanides isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers: classification: preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Bio-molecules: classification, structure and biological importance of carbohydrates amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

-----x-----

3. MATHEMATICS

ALGEBRA:

Algebra of Complex numbers, Graphical representation of complex numbers modules, and argument of complex numbers, conjugated of a complex number, triangle inequality, cube roots of unity, arithmetic, geometric and harmonic progression. Arithmetic, geometric and harmonic means between two numbers. Sum of squares and cubes of first natural numbers. Theory, geometric equation, relations between roots and coefficients. Quadratic expressions, quadratic equations in one variable, permutations and combinations. Binomial (any index) theorem exponential and logarithmic series, determinants up to third order and their order and their elementary properties matrices types of matrices, adjoint and inverse of matrix, elementary, applications is solving simultaneous equation upto three variables.

TRIGONOMETRY:

Trigonometry functions and their graphs, addition and subtraction formulae; formulae involving multiple and submultiple angles, general solutions of trigonometrical equations, relation between sides and angles of a triangle. Solution of triangles, inverse: trigonometrical functions, height and distance(simple problems).

CO-ORDINATE GEOMETRY OF TWO DIMENSIONS:

Rectangular cartesian coordinates, straight line, pair to straight lines, distance of a point from a line, angle between two lines.

Circle, tangents and normals, system of circles.

Conic section, parabola, ellipse and hyperbola in standard forms with elementary properties, tangents and normals.

CO-ORDINATE GEOMETRY OF THREE DIMENSIONS:

Rectangular co ordinate system, direction cosines and direction ratios, equation of place in standard forms. Perpendicular distance from a point, equation of a line angles between two lines.

VECTOR ALGEBRA:

Definition of vector, addition of vector, components in three dimensional space, scalar and vector products. triple products, simple applications in geometry and mechanics.

DIFFERENTIAL CALCULUS:

Function, polynomial, rational trigonometric, logarithmic and exponential, inverse functions. Limit continuity and differentiability of functions, differentiation of rational, trigonometric and exponential functions. Application of derivative in elementary problem in mechanics, increasing and decreasing functions. Maxima and Minima of function of one variable, Roll's theorem and mean value theorem.

INTEGRAL CALCULUS:

Integration as the inverse process of differentiation, integration by parts. By substitution and by partial fraction definite integral. Areas under simple curves.

DIFFERENTIAL EQUATIONS:

Formulation of differential equation, ordered degree solution of differential equations by separation of variable method. Homogeneous form linear differential equation of first order.

STATISTICS:

Probability addition and multiplication laws, conditional probability, Binomial distribution, simple problems in correlation and regression.

NUMERICAL METHODS:

Solution of euation by the methods of bisection, false position and Newton Raphson. Numerical integration by trapezoided and Simpson's rule.

LINEAR PROGRAMMING:

Definition and formation of linear programming problems, solution by graphical method.

-----x-----

4. BIOLOGY (Comprising of Botany and Zoology)

BOTANY :

Structure organisation of cell, cell theory. Light and electron microscopic view of cells. Structure and functions of cell organalles: nucleous mitochondria, Chloroplast, Endoplasmic reticulum, Golgi complex lysosome, micro bodies, microfilaments ribosomes. Centrioles and plasmids, Eukaryotic chromosome (morphology) cell and plasma membrane. Difference between cell and animal division, cell cycle significance of mitosis and meiosis.

Mendel's law of inheritance, monohyobrid and dihybrid cross; linage and crossing over of genetic material DNA relication, genetic code transcription and gene regulition.

Difference between prokaryote and eukaryotes: structure reproduction and economic importance of viruses Mycoplasma, Bacteriophage, cynobacteria (Nostoc) and bacteria.

Five kingdom classification binomial nomenclature: external morphology and life cycle of spirogyra mucor, funaria selaginella and pinus .

Elementary knowledge of microsporogenesis, megasporogenesis. Fertilization endosperm and embryo development in angiosperms.

Tissue and tissue systems, meristematic and permanent tissue, mineral nutrition essential elements and their functions: uptake of minerals transport of water and solutes.

Transpiration photosynthesis and respiration: importance, mechanism and factors affecting these processes: photorespiration.

Enzymes and growth hormones with reference to their classification, chemical nature, mode of action importance. Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem - structure and function, major ecosystems i.e lake and forest; food chain., food web and energy flow, ecological crises role of man in polluting environment - air water and soil.

Role of plants in human welfare: a general knowledge of plant products of economic value drugs, fibers, cereals.

Wheat and rice, pulses(gram), oil seeds(ground nut), sugarcane, coal and petroleum,

Food preservation methods and importance.

Principle of plant breeding and its role in improvement of crops, biotechnology, scope and importance in agriculture and industries manufacture of cheese, yoghurt alcohol antibiotics.

-----X-----

ZOOLOGY :

MULTICELLULARITY- STRUCTURE AND FUNCTION OF ANIMAL LIFE:

- Structure and function of animal tissues epithelial, connective muscular, skeletal and nerve.
- Histology of mammalian organs - stomach, intestine, liver, kidney, lung, testes and ovary.
- Structure and physiology of different organ systems of human body. Skin, digestive system, respiratory system, circulatory system.
- Skeleton, joints, muscles on the basic of movement receptors.
- Endocrine system with special reference to various endocrine glands of man and hormonal co ordination.
- Vitamins and minerals (source and disorders due to deficiencies).

DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND GENETICS:

- Female reproductive cycle in mammals. Gametogenesis alongwith structure of sperm and ovum. Types of eggs, fertilization, types of cleavage and blastula, development of mammals upto three garminal layers. Foetal membrane structure and functions.
- Growth, repair, ageing, amniocentesis.
- Chromosomes, types of chromosome, human karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, hormonal, chromosomal and genic balance theory of sex determination, sex linkage and sex linked inheritance in man, blood group and their significance, blood bank.
- Tissue culture, genetic engineering (brief idea), mutation gene mutation.
- Human population natality mortality, sex ratio population, explosion, dynamics of human life with respect to food supply, housing health and standard of living impact of population problems and their control.

TAXONOMY EVOLUTION ECONOMIC ZOOLOGY:

- Classification- binomial and trinomial nomenclature, basic features of classification, classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples.
- Origin of life, theories of organic evolution- Darwin, Lamarck, synthetic evidence of organic evolution, human evolution.
- Economic zoology/sericulture, apiculture, lac culture, poultry, fishery and pearl industry.
- Protozoan disease in relation to man, insect carrying diseases in relation to man.
- Cancer types of cancer and cancer cell communicable diseases (Hepatitis, AIDS). STD, immune response, vaccines and antisera allergies.
- Smoking, alcoholism and drug addition, symptoms and control.
- Wild conservation.
- Pesticides - users, advantages and hazards.

-----X-----

5. BIOTECHNOLOGY

Protein and Gene Manipulation

Protein Structure and Engineering :

Introduction to the world of proteins, 3-D shape of proteins, Structure function relationship in proteins, Purification of proteins, Characterization of proteins, protein based products, designing proteins and proteomics.

Recombinant DNA technology :

Introduction, tools of r DNA technology, making recombinant DNA, DNA library, introduction of recombinant DNA into host cell, identification of recombinants, polymerase chain reaction (PCR), DNA probes, hybridization techniques, DNA sequencing, site- directed mutagenesis.

Genomics and Bio informatics :

Introduction, genome sequencing projects, gene prediction and country, genome. Similarity SNP's and comparative genomics, functional genomics,

History of Bio-informatics, sequences and nomenclature, information sources. Analysis using Bio-informatics.

Microbial culture and applications:

Introduction, microbial culture techniques, measurement and kinetics of microbial growth, scale up of microbial process, isolation of microbial products, strain isolation and improvement, application of microbial culture technology, bioethics in microbial technology.

Plant cell culture and applications:

Introduction, cell and tissue culture techniques, application of cell and tissue culture, gene transfer methods in plants, transgenic plant with beneficial traits, diagnostics in agriculture and molecular breeding, bioethics in plant genetic engineering.

Animal cell culture and applications:

Introduction, animal cell culture techniques, characterisation of cell lines, scale up of animal culture, process, applications of animal cell culture, stem cell technology, bioethics of genetic engineering in animals.
